CMYK

अधिकतम :38°C
न्यूनतम: 21°C
तापमान

सेंसेक्स 73,137.90
निफ्टी 22,161.60

सोना 91,360
चांदी 94,000

खबरें छुपाता नहीं, छापता है

शाह टाइम्स

बरेली, मंगलवार 8 अप्रैल 2025 बरेली संस्करण: वर्ष 22 अंक 133 पृष्ठ 12 मूल्य रुपये 5.00

www.shahtimesnews.com

विस्तृत खबरों के लिए QR कोड स्कैन करें। मुफ्त पढ़ें E-paper

shahtimes2015@gmail.com चैत्र शुक्ल पक्ष 11 विक्रमी सम्वत् 2082 9 शव्वाल 1446 हिजरी नई दिल्ली, मुजफ्फरनगर, देहरादून, हल्द्वानी, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ व लखनऊ से प्रकाशित

सऊदी अरब ने हज से पहले लगाई बड़ी पाबंदी

विस्तृत खबर देश-विदेश पर

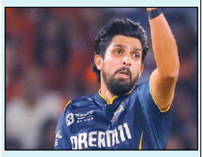

इशांत शर्मा पर आईपीएल आचार संहिता उल्लंघन में लगा जुर्माना

विस्तृत खबर खेल टाइम्स पर

देश में अगले 11 दिन पड़ेगी भीषण गर्मी

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। 14 जिलों में हीटवेव का अलर्ट है। रविवार को बाड़मेर-जैसलमेर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। पिछले 26 साल में बाड़मेर में अप्रैल के पहले हफ्ते में यह सबसे ज्यादा तापमान रहा। अगले कुछ दिन गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है।

मध्य प्रदेश में भी भीषण गर्मी ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है। रविवार को भोपाल का तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इस सीजन में यह सबसे ज्यादा है। प्रदेश के 13 जिलों में तापमान 40 से 42.2 डिग्री के बीच रहा। मौसम विभाग ने 11 दिन तक देश के अधिकतर राज्यों में लू चलने और अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास रहने अनुमान लगाया है। 10 अप्रैल तक राजस्थान, गुजरात के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री से ऊपर जा सकता है। उत्तर प्रदेश में इस साल अप्रैल से जून तक तापमान सामान्य से ज्यादा रहने और हीटवेव चलने की आशंका है। दिन का तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से

बाड़मेर में 26 साल का रिकॉर्ड टूटा, मप्र में हीटवेव

ज्यादा रहने का अनुमान है। रात का तापमान भी सामान्य से ज्यादा रह सकता है।

दिल्ली में तापमान सामान्य से तीन डिग्री ज्यादा

बीते दिन दिल्ली का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 3.1 डिग्री ज्यादा है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री कम 18.5 डिग्री सेल्सियस रहा। शहर में सोमवार को हीटवेव चलने और अधिकतम तापमान 41 डिग्री के आसपास रह सकता है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, मेघालय और अंडमान-निकोबार में सोमवार को गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। आंध्र और पूर्वोत्तर राज्यों (असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नगालैंड, मणिपुर) के कुछ हिस्सों में ओले भी गिर सकते हैं।

कुणाल कामरा को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत

मुंबई वार्ता

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर पैरोडी सॉन्ग मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने मुंबई पुलिस की एफआईआर में कामरा को दी गई अंतरिम सुरक्षा को 17 अप्रैल तक बढ़ा दिया है, जो सोमवार को समाप्त होने वाली थी।

इसके अलावा कामरा ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका पर सोमवार को तत्काल सुनवाई की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करने से इन्कार कर दिया और मंगलवार,

17 अप्रैल तक बढ़ाई अंतरिम सुरक्षा, एफआईआर रद्द करने पर आज होगी सुनवाई

8 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई को मंजूरी दी है। बता दें, कामरा ने 5 अप्रैल को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया है कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर संविधान से उन्हें मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। वहीं, टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म ने शनिवार को कॉमेडियन कुणाल कामरा का नाम अपनी वेबसाइट की आर्टिस्ट्स लिस्ट से हटा दिया था। साथ ही कामरा से जुड़ा सारा कंटेंट भी वेबसाइट से रिमूव कर दिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को कामरा ने अपने शो में गद्दार कहा था।

भारत-नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच समझौता

नई दिल्ली। भारत और नेपाल के न्यायपालिकाओं के बीच आपसी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर सोमवार को हस्ताक्षर किए गए। शीर्ष अदालत की ओर से एक बयान जारी कर यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दोनों देशों के बीच न्यायिक सहयोग को विकसित करने, बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बयान के मुताबिक, नेपाल के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश मान सिंह राउत और भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

दुबई के शहजादे आज भारत यात्रा पर आएंगे

नई दिल्ली। दुबई के शहजादे और रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मकतूम मंगलवार से भारत की दो दिन की यात्रा पर आएंगे। दुबई के शहजादे के रूप में शेख हमदान की यह पहली आधिकारिक भारत यात्रा होगी। उनके साथ कई मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और एक उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही है। एक बयान में कहा गया है कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शहजादे के सम्मान में भोज का आयोजन करेंगे। शहजादे मकतूम विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी बैठक करेंगे।

12 महिला अधिकारी 'समुद्र प्रदक्षिणा' अभियान पर रवाना

नई दिल्ली। सेना, वायुसेना और नौसेना की 12 महिला अधिकारियों का एक दल सोमवार को 55 दिन की मुंबई से सेशेल्स और वापसी यात्रा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा पर रवाना हुआ। मुंबई स्थित कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग (सीएमई) के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल एके रमेश ने इस दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान दल आईएनएसवी त्रिवेणी पर सवार होकर 4,000 समुद्री मील की चुनौतीपूर्ण यात्रा पूरी करेगा। नारी शक्ति की अदम्य भावना को उजागर करने वाली इस यात्रा का उद्देश्य समुद्री अभियानों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है।

चुनावी चंदे से मालामाल हुई भाजपा कांग्रेस की कमाई में 252% की वृद्धि

'आप' को लगा जोर का झटका, एडीआर रिपोर्ट में दावा

नई दिल्ली, वार्ता

केंद्र और देश के कई राज्यों में सत्तारुढ़ भाजपा की चंदे को लेकर लोकप्रियता बनी हुई है। उसे इस साल 2243 करोड़ रुपये से अधिक का चंदा मिला। फरवरी में दिल्ली चुनाव में शिकस्त का सामना करने वाली आम आदमी पार्टी (आप) को खासा घाटा हुआ है और उसे पिछले साल की तुलना में इस बार 70 फीसदी तक चंदा मिला।

2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस को चंदे के मामले में 252 फीसदी की वृद्धि हुई है। चुनाव से संबंधित संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारतीय जनता पार्टी को वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक 2,243 करोड़ रुपये से अधिक का चंदा मिला है जो राष्ट्रीय राजनीतक दलों में सबसे अधिक है। एडीआर ने यह रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपे गए आंकड़ों पर तैयार की है। इन आंकड़ों में राजनीतिक दलों की ओर से 20 हजार रुपये से अधिक के राजनीतिक चंदे की जानकारी दी गई है। एडीआर के अनुसार, राष्ट्रीय दलों को 2,544.

28 करोड़ रुपये की राशि कुल घोषित चंदे के रूप में मिले। ये चंदा कुल 12,547 लोगों की ओर से दिया गया। खास बात यह है कि ये आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 199 फीसदी अधिक है। वित्त वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय दलों के कुल दान में 1693.84 करोड़ रुपये की वृद्धि देखी गई, जो पिछले वित्त वर्ष 2022-23 से 199.17 फीसदी अधिक आंकी गई। राष्ट्रीय दलों की ओर से घोषित किए गए चंदे में भाजपा को अकेले दान का कुल हिस्से का 88 फीसदी हिस्सा मिला। कांग्रेस को 1,994 लोगों ने दान दिया और उसे 281.48 करोड़ रुपये चंदे के रूप में मिले। कांग्रेस इस लिस्ट में भाजपा के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन चंदे के मामले में भगवा पार्टी से काफी नीचे है। अन्य राष्ट्रीय दलों आम आदमी पार्टी (आप), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) और नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीईपी) ने कम राशि की जानकारी दी, जबकि बसपा की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक एक बार फिर उसे 20,000 रुपये की सीमा से ऊपर कोई दान नहीं मिला। यह पिछले 18 सालों से इसके दाखिल किए गए आंकड़ों के अनुरूप है। इस तरह से बीएसपी को पिछले 18 सालों से 20000 रुपये से ज्यादा के चंदे नहीं मिले। भाजपा को चंदे के रूप में मिलने वाली राशि में लगातार वृद्धि होती जा रही है। उसे वित्त वर्ष 2022-23 में 719.85 करोड़ रुपये मिले जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 2,243.94 करोड़ रुपये हो गया। इस तरह से भाजपा को चंदे के रूप में मिलने वाली राशि में 211.72 फीसदी की वृद्धि हुई। एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी तरह, कांग्रेस को मिलने वाला दान वित्त वर्ष 2022-23 में 79.92 करोड़ रुपये था जबकि यह वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 281.48 करोड़ रुपये हो गया। इस तरह से कांग्रेस को मिलने वाले चंदे में 252.18 फीसदी की वृद्धि दिख रही है। हालांकि 'आप' को चंदे के मामले में खासा नुकसान हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में आप की ओर से घोषित दान में 70.18फीसदी यानी 26.038 करोड़ रुपये की कमी आई है।

इस साल भाजपा को 2243 करोड़ रुपये से अधिक का चंदा मिला

एडीआर ने यह रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपे गए आंकड़ों पर तैयार की

वक्फ कानून की 'किस्मत' का फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 'वक्फ (संशोधन) अधिनियम-2025' की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर समय रहते विचार करेगा।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना तथा न्यायाधीश संजय कुमार और के वी विश्वनाथन की पीठ ने कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और एएम सिंघवी के शीघ्र सुनवाई के लिए 'तत्काल उल्लेख' किए जाने के बाद समय रहते याचिका पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की। संसद के दोनों सदनों में संबंधित विधेयक पास होने के बाद पांच अप्रैल को नए कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई। वक्फ (संशोधन) विधेयक (संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया था, लेकिन तब राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली थी) की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं पहले ही दायर की जा चुकी हैं। याचिकाएं दायर करने वालों में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी और दिल्ली में

-शेष पृष्ठ दो पर

यूपी में जो हो रहा, वह गलत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सिविल मामलों को आपराधिक मामलों में बदलने पर सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस की कड़ी आलोचना की और कहा कि इससे पता चलता है कि राज्य में कानून का शासन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की पीठ ने एक मामले में आरोपी देबू सिंह और दीपक सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दीवानी (सिविल) मामलों का

उप्र में सिविल मामले को आपराधिक मामले में बदलने पर सुप्रीम कोर्ट ने की खिंचाई

आपराधिक मामले में बदलना स्वीकार्य नहीं है। सिविल मामलों में पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमे को देखते हुए पीठ ने पूछा कि सिर्फ इसलिए कि सिविल मामलों में लंबा समय लगता है, आप मुकदमा दर्ज कर आपराधिक कानून लागू कर देंगे। पीठ ने अधिकारियों के आचरण की आलोचना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वह गलत है। हर रोज सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदला जा रहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह बेतुका है और स्पष्ट किया कि सिर्फ पैसे न देने को अपराध नहीं बनाया जा सकता। पीठ ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि अगर भविष्य में इसी तरह की याचिकाएं दायर की जाती हैं, तो वह हर्जाना लगाएगी। पीठ ने कहा कि वह जांच अधिकारी को गवाह के कठघरे में आने का निर्देश जारी करेगी और अधिकारी गवाह के कठघरे में खड़े होकर

-शेष पृष्ठ दो पर

रसोई गैस सिलेंडर 50 रुपये हुआ महंगा

नई दिल्ली। सरकारी क्षेत्र की तेल वितरण कंपनियों ने रसोई गैस (एलपीजी) के मूल्य में प्रति सिलेंडर 50 रुपये की बढ़ोतरी की है। यह घोषणा केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में की।

श्री पुरी ने कहा कि उज्ज्वला और सामान्य श्रेणी के दोनों ग्राहकों के लिए गैस की कीमत में भी वृद्धि की गई है। कंपनियों के निर्णय के अनुसार सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर का भाव 803 रुपये से बढ़कर 853 रुपये हो जाएगा। उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 14.2 किग्रा सिलेंडर की कीमत 503 रुपये से बढ़कर 553 रुपये हो जाएगी। श्री पुरी ने कहा कि इन कीमतों की हर 15 दिन पर समीक्षा की जाएगी। सरकार ने सोमवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2-2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी, लेकिन आम उपभोक्ता पर इस वृद्धि का असर नहीं पड़ेगा।

आसाराम को 30 जून तक मिली अंतरिम जमानत

जोधपुर। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की बेंच में आसाराम के अधिवक्ता और सरकारी पक्ष की दलीलें सुनी गईं। आसाराम के वकील निशांत बोडा ने इलाज पूरा करने के लिए जमानत बढ़ाने की अपील की और यह भी कहा कि आसाराम ने किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है।

मध्य प्रदेश में ओबीसी को बड़ी राहत 27 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूथ फॉर इक्वलिटी की ओर से दायर याचिका का निपटारा कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई बाधा नहीं है। ऐसे में प्रदेश में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। याचिका में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के राज्य के फैसले को चुनौती दी गई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सभी 75 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था।

इंडिगो फ्लाइट में महिला की मौत

मुंबई। मुंबई से वाराणसी जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट में 89 साल की महिला की मौत हो गई। इसके बाद विमान की महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि महिला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली थी। उनका नाम सुशीला देवी था। वे मुंबई से फ्लाइट में सवार हुई थीं। उड़ान के दौरान उनकी तबीयत खराब हुई। मेडिकल इमरजेंसी की वजह से 6 अप्रैल रात करीब 10 बजे विमान को चिकलथाना एयरपोर्ट पर उतारा गया। एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम ने उनकी जांच की, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अधिकारी ने बताया कि एमआईडीसी सिडको पुलिस थाने ने जरूरी कार्रवाई पूरी की।

लैंड फॉर जॉब घोटाले में ईडी को झटका

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लैंड फॉर जॉब कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया। अपने फैसले में जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने कहा कि वह दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती।

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल अमित कत्याल को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने रेलवे में लैंड फॉर जॉब कथित घोटाले से जुड़े मामले में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी और बिजनेसमैन अमित कत्याल को दी गई जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया। बेंच ने अपने फैसले में कहा कि कोई भी आदमी बड़ा नहीं है। मामले से जुड़े मुख्य लोग गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, तो छोटी मछलियों के पीछे ही क्यों पड़ना? क्या आपको उन पर कार्रवाई करने से डर लगता है। साथ ही कोर्ट ने यह सवाल भी किया कि आपने 11 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश कानून के अनुसार अनुचित है और इसे खारिज करना चाहिए। हाईकोर्ट ने पिछले साल 17 सितम्बर को अमित कत्याल को जमानत दे दी थी और जांच एजेंसी ईडी की नीति को चुनिंदा तरीके से लोगों पर निशाना साधने वाला बताते हुए उसकी निंदा की थी। ईडी ने कत्याल को 10 नवम्बर, 2023 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अलग-अलग प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई याचिका कहा: दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते

कार्यालय ग्राम पंचायत सरावा विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 **दिनांकः**-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सरावा विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती हसीना ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत सरावा
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री वेद सिंह सचिव)
ग्राम पंचायत सरावा
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत अहमदाबाद विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 **दिनांकः**-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अहमदाबाद विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती सुषमा देवी ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत अहमदाबाद
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री वेद सिंह सचिव)
ग्राम पंचायत अहमदाबाद
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत लालपुर कला विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 **दिनांकः**-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत लालपुर कला विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती तबस्सुम बी ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत लालपुर कला
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री वेद सिंह सचिव)
ग्राम पंचायत लालपुर कला
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत पहाड़पुर विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 **दिनांकः**-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत पहाड़पुर विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती आसिया बी ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत पहाड़पुर
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री संजय कुमार सचिव)
ग्राम पंचायत पहाड़पुर
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत सूरजपुर विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 **दिनांकः**-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सूरजपुर विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री जलीस अहमद ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत सूरजपुर
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री संजय कुमार सचिव)
ग्राम पंचायत सूरजपुर
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत बिचपुरी विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 **दिनांकः**-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बिचपुरी विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती हुस्नबानो ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत बिचपुरी
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री संजय कुमार सचिव)
ग्राम पंचायत बिचपुरी
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत ईश्वरपुर विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 **दिनांकः**-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत ईश्वरपुर विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री नामे अली ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत ईश्वरपुर
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री संजय कुमार सचिव)
ग्राम पंचायत ईश्वरपुर
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत नगलिया कासमगंज वि. ख. सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 **दिनांकः**-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत नगलिया कासमगंज विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती शमा परवीन ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत नगलिया कासमगंज
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री संजय कुमार सचिव)
ग्राम पंचायत नगलिया कासमगंज
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

रैलिंग से टकराई बाइक, उछलकर नाले में गिरी बच्ची, मौत

मामा व मौसी भी घायल, तीनों बाइक पर सवार होकर गजरौला से वापस जा रहे थे घर

शाह टाइम्स संवाददाता,

गजरौला। अनियंत्रित होकर बाइक हाइवे किनारे रैलिंग से टकरा गई। हादसे में बाइक पर सवार एक 10 साल की बच्ची की उछलकर नाले में गिरने से मौत हो गई, जबकि उसके मामा व मौसी घायल हो गए। घटना से परिजनों का रो रोकर हाल बेहाल है। परिजन बिना किसी कार्रवाई के ही बच्ची के शव को अपने साथ ले गए। जानकारी के अनुसार रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव महेशरा निवासी जफरूद्दीन (18) अपनी बड़ी बहन बानो (19) व भांजी अलशिफा (10) के साथ बाइक से गजरौला स्थित बाजार से

■ हाइवे पर मैक डोनाल्ड रेस्टोरेंट के सामने हुई घटना

खरीददारी करके घर वापस लौट रहा था। अलशिफा दोनों मामा व मौसी के बीच में बैठी थी, जब इनकी बाइक हाइवे पर स्थित मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट के सामने पहुंची तो अचानक बाइक अनियंत्रित होकर रैलिंग से टकरा गई। हादसे में जफरूद्दीन और बानो सड़क पर गिरकर घायल हो

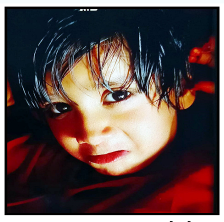

अलशिफा (फाइल फोटो)

घायल बानो

गए तो वहीं अलशिफा उछलकर पास बने 12-13 फिट गहरे नाले में गिर गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल जफरूद्दीन व बानो को उपचार के लिये अस्पताल भिजवाया तो वहीं अलशिफा की तलाश कराई। करीब आधा घंटे के प्रयास के बाद अलशिफा मिल गई, मगर तब तक वह मृत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। बता दें कि पाकबड़ा थाना क्षेत्र के गांव रतनपुर निवासी अलशिफा ईद पर अपनी मां बेनजीर के साथ महेशरा स्थित अपनी नानी के घर पर आई थी, तब से वह यहीं पर रूकी हुई थी। हाल ही में उसे कक्षा 01 की परीक्षा भी पास की थी। वहीं परिजन बिना किसी कार्रवाई के ही अपने साथ ले गए। उन्होंने पुलिस को कोई कार्रवाई न करने के लिये लिखित में पत्र सौंपा। पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइक को कब्जे में लिया।

■ अमरोहा। पुलिस कार्यालय का निरीक्षण करते डीआईजी मुनिराज।

प्रेमी के लिए युवती का कोतवाली में हंगामा

हाथ में ब्लेड लेकर पहुंची कोतवाली

शाह टाइम्स संवाददाता

जोया। प्रेमी के साथ शादी की जिद पर अड़ी युवती हाथ में ब्लेड लेकर कोतवाली पहुंच गयी। उसने पुलिस कर्मियों को चेताते कहा कि यदि उसे उसका प्रेमी नहीं मिला तो वह खुद को जख्मी कर लेगी। सूचना पर पहुंचे परिजन युवती को शादी का आश्वासन देकर अपने साथ ले गये।

मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। सोमवार को एक युवती कोतवाली पहुंची। जिसमें हाथ में ब्लेड था। उसने पुलिस कर्मियों को चेताया कि वह अपने प्रेमी के बिना नहीं रह सकती। परिजनों की आपत्ति के चलते दोनों के बीच दूरी आ गयी है। प्रेमिका ने रो रोकर पुलिस कर्मियों के सामने प्रेमी के साथ रहने की गुहार लगायी। साथ ही उसने चेतावनी दी कि यदि उसे उसका प्रेमी नहीं मिला तो वह कुछ भी कर सकती है। काफी देर तक युवती द्वारा कोतवाली में हंगामा किया जाता रहा। पुलिस ने मामले की सूचना उसके परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने युवती को भरोसा दिलाया कि वह उसकी शादी उसके प्रेमी से करा देंगे। तब कहीं जाकर युवती उनके साथ जाने के लिए राजी हुई।

अमरोहा की युवती की दिल्ली में संदिग्ध मौत

परिजनों ने युवक पर लगाया हत्या का आरोप

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। दिल्ली में प्राइवेट बैंक में जॉब करने वाली युवती की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गयी। उसका शव कमरे में ही पंखे से लटका मिला है। परिजनों ने नगर के रहने वाले एक युवक पर हत्या का आरोप लगाते पुलिस से शिकायत की है।

नगर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला छेबड़ा में स्व. आफताब अहमद का परिवार रहता है। परिवार में पत्नी शहनाज, बेटी शाईस्ता, गुलफ्शा, बेटा सुहैल व मोहसिन हैं। तीसरे नंबर की बेटी शाईस्ता की नौकरी दो महीना पहले दिल्ली की एक प्राइवेट बैंक में लगी थी। लिहाजा शाईस्ता दिल्ली के लक्ष्मीनगर में फ्लैट लेकर रह रही थी। रविवार शाम को वह जामा मस्जिद घूमने गई थी। वहां से स्वजन से वीडियो काल पर भी बात की थी। स्वजन के

■ दो माह से एचडीएफसी बैंक में कैशियर थी, कमरे में पंखे से लटका मिला शव

मुताबिक शाईस्ता खुश थी तथा उसने कोई परेशानी नहीं बताई थी। परंतु रात को उसका शव फ्लैट में ही मिला। संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई थी। जिस सोसायटी में उसका फ्लैट था, उसके गार्ड ने पुलिस को सूचना दी थी कि शाईस्ता का शव पंखे से लटका हुआ है तथा उसने आत्महत्या कर ली है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसका शव कमरे में पड़ा था। सूचना मिलते ही स्वजन भी रात ही दिल्ली रवाना हो गए थे। स्वजन ने बेटी की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अमरोहा निवासी एक युवक ने शाईस्ता की हत्या की है। हालांकि दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन शव को लेकर अमरोहा आ गए तथा मृतका को सुपुर्दे खाक कर दिया है।

किसान के खेत में मिला 12 फिट का अजगर

हसनपुर। तहसील क्षेत्र के गांव सिरसा कला के जंगल में स्थित गांव निवासी सुरेश के बरसीन के खेत में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। धीरे-धीरे जंगल में अजगर सांप के निकलने की सूचना आग की तरह फैल गई। सूचना मिलते ही भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुटनी शुरू हो गईद्य वही मामले की जानकारी ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। वन विभाग की टीम ने अजगर सांप को सुरक्षित पड़कर रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। वन रेजर नरेश कुमार द्वारा बताया गया की जंगल में 12 फीट लंबा अजगर निकलने की सूचना मिलते ही वन विभाग के टीम मौके पर पहुंच गई थी। इसके बाद रेस्क्यू पर अजगर सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया है।

डीआईजी ने किया पुलिस कार्यालय का निरीक्षण

अभिलेखों के रखरखाव को भी परखा

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। डीआईजी मुनिराज जी सोमवार को अमरोहा पहुंचे। जिन्हें पुलिस कार्यालय पर गार्ड आफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उनके द्वारा पुलिस कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने सभी शाखाओं का निरीक्षण कर संबंधित शाखा प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

डीआईजी ने वाचक कार्यालय, आंकिक शाखा, प्रधान लिपिक शाखा, डीसीआरबी, शिकायत प्रकोष्ठ, सोशल मीडिया एवं विशेष जांच प्रकोष्ठ आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शाखाओं में नियुक्त सभी पुलिस कर्मचारियों से उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली। साथ ही शाखाओं के अभिलेखों के रख-रखाव को चेक किया तथा साफ-सफाई रखने और राजकीय कार्य समय से सम्पादित करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद, अपर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार सिंह सहित सभी शाखाओं के शाखा प्रभारी व अन्य पुलिस अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे।

महिला फैक्ट्री कर्मी से रेप का आरोपी दबोचा

शादी का झांसा देकर बनाए थे अवैध संबंध

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। फैक्ट्री में काम करने वाली महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने दबोच लिया। प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसने शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिए थे। इतना ही नहीं अश्लील वीडियो-फोटो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता से तीन लाख रुपये भी वसूल लिए थे। मुकदमा दर्ज होने के बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी जो रविवार को खत्म हो गई। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला हाईवे स्थित एक फैक्ट्री में मजदूरी करती है। साथ में काम करने वाले गांव मुबारकपुर शिवनगर के रहने वाले रघुवंश में महिला को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए थे। इस दौरान आरोपी रघुवंश ने महिला की अश्लील वीडियो बनाने के बाद आपत्तिजकन हालत में फोटो खींच लिए थे। बाद में ब्लैकमेल तीन लाख रुपये ले लिए थे। इतना ही नहीं वीडियो-फोटो वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया था। आरोपी बाद में शादी करने के अपने वादे से मुकर गया था। आखिर हिम्मत दिखाकर महिला ने डिडौली कोतवाली में तहरीर दे दी थी। मामले में पुलिस ने आरोपी रघुवंश के खिलाफ दुष्कर्म व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। प्रभारी निरीक्षक हरीश वर्धन सिंह ने बताया कि दुष्कर्म के आरोपी रघुवंश को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसे अदालत में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया।

तालाब पाटकर सपा नेता ने बनाई थी तीन स्कूलों की बिल्डिंग

मैस्को स्कूल में छात्रों के नए प्रवेश पर रोक

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। मैस्को पब्लिक स्कूल पर प्रशासन ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक ओर नगर पालिका की फर्जी एनओसी के मामले में प्रशासन सपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव एवं प्रबंधक कमाल फारूकी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की तैयारी में है वहीं शिक्षा विभाग ने मैस्को पब्लिक स्कूल में नोटिस जारी कर नवीन प्रवेश पर रोक लगा दी है।

बताते चलें कि धनौरा रोड पर सपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव कमाल फारूकी का मैस्को पब्लिक स्कूल, मैस्को फार्मेसी व राशिदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय संचालित हैं। उक्त स्कूलों को तालाब की जमीन पर कब्जाकर बनाने की शिकायत अशहर तौसीफ पुत्र तौसीफ हसन निवासी गश्तियान ने

15 फरवरी को ऑनलाइन की थी। इसके अलावा स्कूल की मान्यता का नवीनीकरण भी नहीं कराया गया जबकि राज्य सरकार से अनापत्ति पत्र भी नहीं लिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इसकी मान्यता भी समाप्त हो चुकी है। इसी आधार पर विद्यालय की मान्यता समाप्त किये जाने की मांग अशहर तौसीफ द्वारा की गयी। इतना ही नहीं एनजीटी ने 17 फरवरी व न्यायालय अमरोहा में पारित आदेशों की प्रति इस निर्देश के साथ भेजी गयी है कि उक्त संबंध में सात दिन के अंदर स्कूल प्रबंधतंत्र अपना स्पष्टीकरण दे। गाटा संख्या 403 व 404 पर तालाब दर्ज है। तालाब की भूमि का स्वरूप बदला नहीं जा सकता। इसी आधार पर विद्यालय का मानचित्र भी निरस्त कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जब पालिका ने तीनों शिक्षण संस्थानों की एनओसी की जांच करायी तो वह भी फर्जी निकली। दरअसल

■ पालिका की फर्जी एनओसी मामले में कमाल फारूकी पर रिपोर्ट दर्ज करने की तैयारी

तत्कालीन ईओ ने बताया कि जोया एनओसी पालिका से जारी की गयी है उस पर उनका हस्ताक्षर फर्जी हैं। इसी आधार पर एनओसी को निरस्त कर दिया गया है। डीएम श्रीमति निधि गुप्ता वत्स ने इस मामले में पालिका को सपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव एवं स्कूल प्रबंधक कमाल फारूकी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिये हैं। खंड शिक्षा अधिकारी सोनू कुमार ने दो दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही निर्देश दिये हैं कि जब तक मान्यता का नवीनीकरण नहीं हो जाता तब तक नवीन सत्र में नामांकन नहीं किये जायेंगे।

झोलाछाप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

अवैध रूप से चला रहा था क्लीनिक

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। अवैध तरीके से क्लीनिक का संचालन करने वाले झोलाछाप के खिलाफ डिडौली पुलिस ने नोडल अधिकारी की तहरीर पर इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायत पर नोडल अधिकारी क्वैक्स डा. शरद कुमार ने बीती 22 मार्च को डिडौली क्षेत्र के गांव इकौंदा में मेन अड्डे पर संचालिक एक क्लीनिक पर छापा मारा था। छानबीन करने पर सामने आया था कि क्लीनिक का स्वास्थ्य विभाग में कोई पंजीकरण नहीं है। छोटी सी दुकान में चल रहे क्लीनिक में टीम को मौजूद मिले बलराम सिंह मरीजों को दवाईयां दे रहे थे। नोडल अधिकारी ने जब प्रैक्टिस संबंधी डिग्री और पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज मांगे तो बलराम सिंह द्वारा मौके पर कोई अभिलेख नहीं दिखाया गया, लिहाजा नोडल अधिकारी ने अवैध तरीके से चल रहे क्लीनिक को सील करते हुए नोटिस जारी किया था। नोटिस का समय पूरा होने के बाद भी बलराम सिंह द्वारा सीएमओ कार्यायय में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। सीएमओ डा.सत्यपाल सिंह के निर्देश पर नोडल अधिकारी डा.शरद कुमार ने रविवार को डिडौली कोतवाली में तहरीर दे दी थी। प्रभारी निरीक्षक हरीश वर्धन सिंह ने आरोपी बलराम सिंह के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करने की बात कही।

■ अमरोहा। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिशासी अधिकारियों की बैठक लेतीं जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स।

विकास कार्यों की गुणवत्ता देख करें भुगतान

डीएम ने ईओ को दिए निर्देश

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने ईओ धनौरा को निर्देश दिये कि वह कार्य ठीक से करवायें तथा इसके बाद ही भुगतान किया जाये।

कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम निधि गुप्ता वत्स ने निकायों के कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने विकास कार्य, प्रतिबंधित पालीथीन, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण, निकायों में राजस्व वसूली, राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष व्यय व कराये जा रहे विकास कार्य, अमृत योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन में आवश्यक निर्देश दिये। उन्होने नगर पालिका व नगर पंचायत से भुगतान की पैडेंसी के बारे में जानकारी ली जबकि बंधन योजना के कार्य की समीक्षा करते ईओ धनौरा को निर्देश दिये कि योजना के अन्तर्गत जो भी कार्य कराये जा रहे हैं वह गुणवत्तापरख हों इसके बाद ही भुगतान कराया जाये। सभी अधिशासी अधिकारी गर्मी के मौसम में लू से बचाव के लिए प्रभावी कदम उठायें। बैठक में ईओ अमरोहा ब्रजेश कुमार भी मौजूद रहे।

किसान के खेत में रंजिशन लगाई आग

शाह टाइम्स संवाददाता

हसनपुर। रंजिशन लगाई गई आग से किसान का एक बीघा गेहूं जल कर राख बन गया। कोतवाली क्षेत्र के गांव बाईखेड़ा में किसान वीर सिंह के गेहूं के खेत में बीती रात अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। आग की लपटें तेजी से फैलने लगीं। आग को देखते ही ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। हालांकि इस घटना में लगभग एक बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। खेत के किनारे लगे यूकेलिप्टस के पेड़ भी आग की चपेट में आ गये। पीड़ित किसान वीर सिंह ने अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मामूली विवाद में हवाई फायरिंग से दहशत

पुलिस मामले की जांच में जुटी

शाह टाइम्स संवाददाता

मंडी धनौरा। मामूली कहासुनी पर हुआ विवाद फायरिंग तक पहुंच गया। हवाई फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। लेकिन फायरिंग करने वाले आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। इस मामले की एफआईआर भी दर्ज कराई गई है।

थाना क्षेत्र के गांव हिरनाखेड़ी निवासी अमित ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि रविवार को उसके चाचा मदन खेत पर गए थे वहां किसी बात को लेकर उनकी चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव अहरौला निवासी देशवीर से कहासुनी हो गई। इसके बाद देशवीर ट्रैक्टर पर सवार होकर अपने पुत्र आदर्श, पत्नी प्रभा व मंडी धनौरा के गांव पालनपुर निवासी सचिन के साथ हाथ मे लाठी डंडे लेकर आये गालीगलौज करते हुए मारपीट कर दी। आरोप हैं कि इस दौरान तमंचे से हवाई फायरिंग भी की गई। जिससे गांव में दहशत फैल गई। फायरिंग की आवाज सुनकर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। भीड़ देखकर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया मामले में तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही हैं

प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकें

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। निजी स्कूलों में बढ़ती अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग डीएम से की गयी है। युवा नेता आकाश चौधरी के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें नर्सरी कक्षा से 12वीं तक स्कूल संचालकों के द्वारा फीस व अन्य मदों के नाम पर की जा रही अवैध वसूली रोके जाने की मांग की। ड्रेस व किताबें मनचाही दुकानों से हटायी जायें। बिल्डिंग शुल्क, प्रवेश शुल्क, पंजीकरण शुल्क पर रोक लगायी जाये। जो वाहन अनफिट हैं उनसे स्कूल बच्चे न ढोये जायें। ज्ञापन सौंपने वालों में सुमित चौधरी, अरूण, रोहित कुमार, मनदीप, कपिल, गौरव, अंकित, नवनीत, अक्षय, अर्श, पियूष चौधरी आदि शामिल थे।

जमीन में साझीदार बनाने के नाम पर हड़पे 18 लाख रूपये, कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई रिपोर्ट

पूर्व विधायक के समधी व बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा

शाह टाइम्स ब्यूरो

अमरोहा। पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद हयात के बुलंदशहर के रहने वाले समधी और उसके बेटे ने जमीन में पार्टनर बनाने का झांसा देकर अमरोहा शहर निवासी पेट्रोल पंप संचालक से 18 लाख रुपये हड़प लिए। इतना ही नहीं आलू की खरीद-फरोख्त के फर्जी बिल बनाकर शिकायत की जांच में जुटी पुलिस को भी गुमराह किया। मामले में अब अदालत के आदेश पर आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शफातपोता में कारोबारी मोहम्मद खालिद कुरैशी का परिवार रहता है। जोया में उनका पेट्रोल पंप है। एफआईआर के मुताबिक बुलंदशहर के मोहल्ला मिर्चीटोला कसाईबाड़ा के रहने वाले अब्दुल हकीम की बेटी की शादी अमरोहा शहर के रहने वाले पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद हयात के बेटे गुलरेज के साथ हुई है। इसके चलते अब्दुल हकीम के बेटे अरशद से मोहम्मद खालिद कुरैशी के अच्छे ताल्लुकात हो गए थे। दोनों का एक दूसरे के घरों में आना-जाना भी रहता था। आरोप है कि इस दौरान अब्दुल हकीम ने उन्हें झांसा दिया कि उनके समधी हाजी मोहम्मद हयात नौगावां सादात रोड पर अपनी कुछ जमीन बेच रहे हैं, जिसका सौदा कर लिया है लेकिन रकम पूरी नहीं होने के कारण उसका बैनामा अटका हुआ है। आरोप है कि इस दौरान अब्दुल हकीम ने मोहम्मद खालिद कुरैशी के सामने जमीन में पार्टनर बनने की पेशकश रखी। लिहाजा, बिरादरी के कुछ लोगों के सामने बात तय हो गई और मोहम्मद खालिद कुरैशी अब्दुल हकीम और उनके बेटे अरशद की फर्म हाजी अब्दुल हकीम एंड संस के खाते में 19 अप्रैल 2018 को 13 लाख रुपये और 4 मई 2018 को 5 लाख रुपये ट्रांसफर करा दिए। इस तरह 18 लाख रुपये जाने के बाद अब्दुल हकीम और अरशद जमीन का बैनामा करने में आनाकानी करने लगे। मोहम्मद खालिद कुरैशी ने जब इसकी शिकायत पूर्व विधायक हाजी मोहम्मद हयात से की तो अब्दुल हकीम और उनका बेटा अरशद उनसे नाराज हो गए। बदनाम करने की बात कहते हुए दोनों जान से मारने की धमकी देने लगे। रकम लौटाने से भी साफ इनकार कर दिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जब जांच की तो पिता-पुत्र ने 18 लाख रुपये के आलू पीड़ित पेट्रोल पंप संचालक मोहम्मद खालिद कुरैशी को बेचने की बात कही, कूटरचित बिल भी दिखा दिए जबकि मोहम्मद खालिद कुरैशी सब्जी की आढ़त का काम नहीं करते बल्कि पेट्रोल पंप चलाते हैं। मामले में पेट्रोल पंप संचालक मोहम्मद खालिद कुरैशी ने अदालत की शरण ली थी। प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर ने मामले में अब्दुल हकीम और अरशद के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और षडयंत्र रचने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने की बात कही।

कार्यालय ग्राम पंचायत नईमगंज विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः–मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः–07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत नईमगंज विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025–26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय–समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम–150/ईंट बालदार एम–275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई–रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः–यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती तारावती ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत नईमगंज
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री अन्तराम सचिव)
ग्राम पंचायत नईमगंज
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत आगापुर विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः–मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः–07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत आगापुर विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025–26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय–समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम–150/ईंट बालदार एम–275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई–रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः–यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री राजबहादुर यादव ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत आगापुर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(निशा वर्मा सचिव)
ग्राम पंचायत आगापुर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत मंसूरपुर विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः–मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः–07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मंसूरपुर विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025–26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय–समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम–150/ईंट बालदार एम–275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई–रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः–यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती कु.निशा ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत मंसूरपुर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(निशा वर्मा सचिव)
ग्राम पंचायत मंसूरपुर
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत पसियापुरा जनूबी वि. ख. चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः–मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः–07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत पसियापुरा जनूबी विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025–26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय–समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम–150/ईंट बालदार एम–275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई–रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः–यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती निशा ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत पसियापुरा जनूबी
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(निशा वर्मा सचिव)
ग्राम पंचायत पसियापुरा जनूबी
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत मिलक निब्बी सिंह वि. ख. चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः–मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः–07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मिलक निब्बी सिंह विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025–26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय–समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम–150/ईंट बालदार एम–275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई–रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः–यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती भूरी देवी ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत मिलक निब्बी सिंह
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(निशा वर्मा सचिव)
ग्राम पंचायत मिलक निब्बी सिंह
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत पीपलगॉव विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः–मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः–07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मिलक निब्बी सिंह विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025–26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय–समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम–150/ईंट बालदार एम–275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई–रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः–यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती बख्तावर बेगम ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत पीपलगॉव
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री मो.उमर फारूख सचिव)
ग्राम पंचायत पीपलगॉव
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत नगला बांस नगली वि. ख. चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः–मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः–07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मिलक निब्बी सिंह विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025–26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय–समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम–150/ईंट बालदार एम–275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई–रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः–यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती परवीन ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत नगला बांस नगली
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री मो.उमर फारूख सचिव)
ग्राम पंचायत नगला बांस नगली
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत चमरौआ विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर

पत्रांकः–मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः–07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मिलक निब्बी सिंह विकास खण्ड चमरौआ जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025–26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय–समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम–150/ईंट बालदार एम–275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई–रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः–यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री असरार हुसैन ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत चमरौआ
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

(श्री मो. उमर फारूख सचिव)
ग्राम पंचायत चमरौआ
विकास खण्ड चमरौआ (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत खौद विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत खौद विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती मोबीन जहॉ ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत खौद
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री वसीम अहमद सचिव)
ग्राम पंचायत खौद
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत जगतपुर विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत जगतपुर विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री भूप सिंह ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत जगतपुर
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री वसीम अहमद सचिव)
ग्राम पंचायत जगतपुर
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत आंगा विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत आंगा विकास खण्ड सैदनगरजिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती कामनी बेगम ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत आंगा
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री वसीम अहमद सचिव)
ग्राम पंचायत आंगा
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत वगरव्वा विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत वगरव्वा विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री जबाब हुसैन ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत वगरव्वा
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री वसीम अकरम सचिव)
ग्राम पंचायत वगरव्वा
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत दरियागढ़ विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत दरियागंढ़ विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती साबित्री देवी ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत दरियागढ़
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री वसीम अकरम सचिव)
ग्राम पंचायत दरियागढ़
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत खुर्शीदनगर विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत खुर्शीदनगर विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती प्रेमवती ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत खुर्शीदनगर
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री वसीम अकरम सचिव)
ग्राम पंचायत खुर्शीदनगर
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत खौदपुरा विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत खौदपुरा विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती सुमन ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत खौदपुरा
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री वसीम अकरम सचिव)
ग्राम पंचायत खौदपुरा
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत नगला गनेश विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत नगला गनेश विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती जावेद परवीन ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत नगला गनेश
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री वसीम अकरम सचिव)
ग्राम पंचायत नगला गनेश
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत खिजरपुर वि. खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत खिजरपुर विकास खण्ड सैदनगरजिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती सना आसिफ ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत खिजरपुर
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(शिवानी सचिव)
ग्राम पंचायत खिजरपुर
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत हकीमगंज विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत हकीमगंज विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती बैबी ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत हकीमगंज
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(शिवानी सचिव)
ग्राम पंचायत हकीमगंज
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत अलीगंज बेनज़ीर वि. ख. सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अलीगंज बेनज़ीर विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती प्रेमवती ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत अलीगंज बेनज़ीर
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(शिवानी सचिव)
ग्राम पंचायत अलीगंज बेनज़ीर
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत वज़ावाला विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत वजावाला विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री फिदा हुसैन ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत वजावाला
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(शिवानी सचिव)
ग्राम पंचायत वजावाला
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत कुचैटा विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कुचैटा विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती फिरोजा बी ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत कुचैटा
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(ऊषा सचिव)
ग्राम पंचायत कुचैटा
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत बहादुरगंज विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बहादुरगंज विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती साहिबा ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत बहादुरगंज
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(ऊषा सचिव)
ग्राम पंचायत बहादुरगंज
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत परचई विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत परचई विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री संजीव ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत परचई
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(ऊषा सचिव)
ग्राम पंचायत परचई
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत काशीपुर विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत काशीपुर विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्में/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती रफत जहाँ ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत काशीपुर
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री वसीम अकरम सचिव)
ग्राम पंचायत काशीपुर
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत रनुआ नगला वि. खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत रनुआ नगला विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती गुलिस्ताना ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत रनुआ नगला
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री संजय कुमार सचिव)
ग्राम पंचायत रनुआ नगला
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत जटपुरा विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत जटपुरा विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री उस्मान अली ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत जटपुरा
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री कौसल कुमार सचिव)
ग्राम पंचायत जटपुरा
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत अजीमनगर विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अजीमनगर विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती तबस्सुम जहाँ ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत अजीमनगर
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री कौसल कुमार सचिव)
ग्राम पंचायत अजीमनगर
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत अलीनगर शुमाली वि. ख. सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अलीनगर शुमाली विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती तस्लीम जहाँ ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत अलीनगर शुमाली
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री कौसल कुमार सचिव)
ग्राम पंचायत अलीनगर शुमाली
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत मुरसैना विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मुरसैना विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री ओम सिंह ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत मुरसैना
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(ऊषा सचिव)
ग्राम पंचायत मुरसैना
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत कुम्हरिया विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कुम्हरिया विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री उस्मान अली ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत कुम्हरिया
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(ऊषा सचिव)
ग्राम पंचायत कुम्हरिया
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत दिलपुरा विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत दिलपुरा विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती निर्मला देवी ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत दिलपुरा
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री कौसल कुमार सचिव)
ग्राम पंचायत दिलपुरा
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत रतनपुरा शुमाली वि. ख. सैदनगर जिला रामपुर

पत्रांकः-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांकः-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत रतनपुरा शुमाली विकास खण्ड सैदनगर जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्बिंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोटः-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री अमीर अहमद ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत रतनपुरा शुमाली
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

(श्री कौसल कुमार सचिव)
ग्राम पंचायत रतनपुरा शुमाली
विकास खण्ड सैदनगर (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत मिलक नोखरीद वि.खण्ड स्वार जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मिलक नोखरीद विकास खण्ड स्वार जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी.पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीमती हाजरा बेगम ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत मिलक नोखरीद
विकास खण्ड स्वार (रामपुर)

(श्री महेन्द्र प्रताप सिंह सचिव)
ग्राम पंचायत मिलक नोखरीद
विकास खण्ड स्वार (रामपुर)

विधायक गुरुद्वारा पहुच अरदास में हुए शामिल

शाह टाइम्स संवाददाता

स्वार/रामपुर। सोमवार को विधायक शफीक अहमद अंसारी ने गुरुद्वारा पहुंच कर अमृत पाल सिंह की अरदास में शामिल हुऐ काफी समय गुरुद्वारा में रहे उसके बाद एक शौक सभा में शामिल हुऐ। बाद स्वार टांडा व अन्य स्थानों से आये हुऐ लोगों से अपने केम्प कार्यालय पर मुलाकात की। विधायक ने कहा में स्थानीय विधायक हुँ में लोगो का दु:ख अच्छी तरह से समझ सकता हू। इन्ही लोगो ने मुझे विधायक बनाया है मेरा फर्ज बनता है की में पहले इनके सुख और दुख में शामिल रहूँ. मेरे लिये जनता सर्वोपरि है। इस दौरान में विधायक सलहाकार दीपक नागर, विधायक प्रतिनिधि पंकज सैनी, इरफान अल्वी,नाहिद खां इस्लाम मेंबर, अकील मेंबर,हामिद अल्वी, परवेज अख्तर, अकरम कुरैशी, सलीम भाईजान मीडिया प्रभारी इदरीस अहमद खां आदि मौजूद रहे।

बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्मोत्सव को लेकर तैयारियों में जुटे बसपाई

शाह टाइम्स ब्यूरो

रामपुर। सोमवार को बहुजन समाज पार्टी की एक मीटिंग बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चंदपुरा कदीम में हुई। सेक्टर कमेटी का गठन करते हुए, बैठक में बोलते हुए बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी राजेश प्रकाश सैनी ने कहा,की दिनांक 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बहुजन समाज पार्टी जिला स्तर पर मनाएगी। आगे कहा कि बसपा का गठन भी 14 अप्रैल के दिन ही हुआ था।

इसलिए यह दिन बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, कहा कि जब बसपा की सरकार थी तब बहन कुमारी मायावती ने गरीबों दलितों ,मजलूम के विकास की बहुत योजनाएं चलाई। जिससे जनता को लाभ मिला उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ, बड़े पैमाने पर सफाई कर्मचारी की भर्तियां निकली जिसका फायदा सीधे गरीब तबके के लिए हुआ।

इस अवसर पर बसपा के जिला प्रभारी पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद सागर एडवोकेट ने भी अपने विचार रखें ,कहा कि 14 अप्रैल की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है जिला स्तर पर बसपा की ओर से माया देवी धर्मशाला अगापुर रोड रामपुर में मनाया जाएगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती एक एतिहासिक कार्यक्रम होगा। जिले में संगठन की कमेटिया बना दी हैं जो कार्यक्रम को सफल करने के लिए प्रचार प्रसार में लगी हुई है। कहा कि प्रत्येक विधानसभा को 500 कार्यकर्ताओं को लाने का लक्ष्य दिया गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतू प्रचार प्रसार चल रहा है। जनता बसपा के शासन को याद कर रही है जब बहन जी की सरकार थी तब गरीबों के काम प्राथमिकतसे होते थे जबकि इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। प्रशासन सही काम नहीं कर पा रहा, आम जनता न्याय पाने के अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते लगाते परेशान है। महंगाई चरम सीमा पर है। इस अवसर पर उपस्थित रहे, सोनू सागर विधानसभा अध्यक्ष, राम बहादुर सागर राजेंद्र सिंह यासीन खान नईम खान कृपाल सिंह सत्यवीर यादव अमरेश कुमार सचिन सागर सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।

शाहबाद में हुआ शिक्षा के क्षेत्र में लाइब्रेरी का शुभारंभ

शाह टाइम्स संवाददाता

शाहबाद/रामपुर। सोमवार को चंदौसी रोड स्थित कृष्ण बिहार कॉलोनी मे राइट चॉइस लाइब्रेरी का हवन पूजन के बाद फीता काटकर शुभारंभ किया गया। हवन पूजन आचार्य नितिन भारद्वाज के द्वारा संपन्न कराया गया। अनुभव शर्मा के द्वारा लाइब्रेरी का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। लाइब्रेरी के संचालक दीपक भारद्वाज के द्वारा बताया कि उन्होंने एजुकेशन विषय से परस्नातक में डिग्री , बीटीसी एवं बी.एड की डिग्री प्राप्त की है। उनका शुरू से शिक्षा के क्षेत्र में रुचि थी, उनका उद्देश्य है की शाहबाद के युवा यही रहकर अध्यन करे एवं कुछ बनकर शाहबाद क्षेत्र का नाम रोशन करे इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने लाइब्रेरी खोली है, यहा वह सभी छात्रों को उचित सुविधा के

साथ पढ़ाई का अच्छा वातावरण देंगे। इस मौके पर मोनू चौधरी , शजमान आर्यन,राजू चंद्रवंशी,संजय कुमार,गौरव शर्मा, डॉ सतेंदर यादव,ब्रजमोहन शर्मा, अर्पित वशिष्ठ,आशीष मिश्रा, आलोक मिश्रा,अर्जुन सिंह,स्पर्श शर्मा,आरव मिश्रा,राजीव मिश्रा, गुड्डू,रानू सक्सेना,किशन राजपूत, अमन श्रीवास्तव,आकाश शर्मा, सत्यवीर यादव आदि मौजूद रहे।

पूर्व चेयरमैन ने किया जागरण का शुभारंभ

शाह टाइम्स संवाददाता

मसवासी/रामपुर। क्षेत्र के ग्राम मंसूरपुर में मां भगवती के भव्य जागरण का शिव मंदिर पर आयोजन किया गया जिसका शुभारंभ डॉ महेश मौर्य जिला उपाध्यक्ष भाजपा ने फीता काटकर किया। और उपस्थित होकर भजनों का श्रवण किया । इस दौरान ग्राम प्रधान मंसूरपुर विकास मौर्य , ग्राम रहमतगंज प्रधान सुरेश दिवाकर, ग्राम सीतारामपुर प्रधान राजू सैनी ,भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजेश यादव, मंडल उपाध्यक्ष संजय कश्यप, परमिंदर मौर्य, योगेश सैनी, धर्मवीर,गजेन्द्र सैनी और कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित रहे भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं काफी संख्या में ग्रामवासी भी इस मौके पर मौजूद रहे।

शिवनगर मे विद्यार्थियों को परीक्षा फल वितरण किया

शाह टाइम्स संवाददाता

मिलक/रामपुर। तहसील क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय शिवनगर में परीक्षा फल वितरण कार्यक्रम हुआ कार्यक्रम ग्राम प्रधान इमरान अली की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

ग्राम प्रधान इमरान अली ने विद्यार्थियों को मेहनत के साथ शिक्षा ग्रहण करने की सीख दी एवं विद्यार्थियों को खुली आंखों से सपने देखने और कड़ी मेहनत से अपने सपने पूरे करने के लिए प्रेरित किया विद्यार्थियों को समझाया गया कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं अपनी मेहनत लगन से जो बनना चाहते हो वह बन सकते हो सभी विद्यार्थियों को परीक्षा फल वितरण के साथ पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

विद्यार्थी पुरस्कार पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे । इस अवसर पर नवीन कुमार शर्मा, पुष्पा कुमारी, ऋतु सिंह, मोहिनी देवी, समीना आदि विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।

कार्यालय ग्राम पंचायत हसनपुर उत्तरी वि.खण्ड स्वार जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत हसनपुर उत्तरी विकास खण्ड स्वार जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्रीती आरती रानी ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत हसनपुर उत्तरी
विकास खण्ड स्वार (रामपुर)

(श्री महेन्द्र प्रताप सिंह सचिव)
ग्राम पंचायत हसनपुर उत्तरी
विकास खण्ड स्वार (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत पट्टी कला विकास खण्ड स्वार जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत पट्टी कला विकास खण्ड स्वार जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री मोहम्मद हुसैन ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत पट्टी कला
विकास खण्ड स्वार (रामपुर)

(श्री महेन्द्र प्रताप सिंह सचिव)
ग्राम पंचायत पट्टी कला
विकास खण्ड स्वार (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत खुशालपुर विकास खण्ड स्वार जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत खुशालपुर विकास खण्ड स्वार जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री मो.साजिद ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत खुशालपुर
विकास खण्ड स्वार (रामपुर)

(श्री महेन्द्र प्रताप सिंह सचिव)
ग्राम पंचायत खुशालपुर
विकास खण्ड स्वार (रामपुर)

कार्यालय ग्राम पंचायत करीमपुर विकास खण्ड स्वार जिला रामपुर

पत्रांक:-मीमो./ग्रा.पं./सामग्री आपूर्ति/विकास कार्य/निविदा/कुटेशन/2025 दिनांक:-07/04/2025

अल्पकालीन निविदा/कुटेशन सूचना

समस्त अधिकृत फर्मों, पंजीकृत विक्रेताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत करीमपुर विकास खण्ड स्वार जिला रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/मनरेगा/15 वां वित/राज्य वित्त/ RGSA व OSR की मद से निर्माण कार्य हेतु प्राप्त धनराशि एवं अन्य शासकीय मदों के अंतर्गत निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि से निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अनुसार उच्च कोटि की सामग्री निर्माण कार्य स्थल पर आपूर्ति करने हेतु मोहरबंद सीलबंद निविदाएं/कुटेशन आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे/आपूर्तिकर्ता दिनांक 08/04/2025 से 16/04/2025 तक कार्यालय दिवस में समय 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ग्राम पंचायत पर रखे बॉक्स में सीलबंद निविदा/कुटेशन सहित जमा कर सकते हैं। जो कि दिनांक 17/04/2025 को ग्राम पंचायत की कमेटी के समक्ष सम्बंधित ग्राम पंचायत के क्लस्टर मुख्यालय पर खोली जायेगी। स्वीकृत निविदा/कुटेशन के अनुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में उपलब्ध धनराशि के आधार पर ग्राम पंचायत के लिखित आदेश पर की जायेगी, जो कि ग्राम पंचायत को समय-समय पर प्राप्त आवंटित धनराशि पर होगी। आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत (प्रधान एवं सचिव) के लिखित आदेश पर की जायेगी। सामग्री की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत की परिधि में स्वीकृत दर पर निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। सामग्री की आपूर्ति का भुगतान अधोहस्ताक्षरी की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता का जी.एस.टी. पंजीकरण संबंधित विभाग में होना अनिवार्य है। प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. की दरों की अनुरूप पी.डब्ल्यू.डी. के रेट ऑफ शेड्यूल के अनुसार होगी। सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत के आदेशानुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत की जानी अनिवार्य है। सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में भुगतान की धनराशि में से नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	यूनिट मात्रा	दर
01.	सीमेन्ट	प्रति बैग/टन	
02.	बालू रेत/मिट्टी दूरी सहित/लोकल रेत	घन मी.	
03.	बजरफुट/ बजरी 20 एम.एम.	घन मी.	
04.	ईंट 40 एम.एम./रोड़ी/ पत्थर रोड़ी 40 एम.एम.	घन मीटर	
05.	ईंट प्रथम श्रेणी एम-150/ईंट बालदार एम-275	प्रति नग हजार	
06.	इंटरलॉक टाइल्स 80 एम.एम./ 60 एम.एम./पुस्तके	प्रति नग	
07.	पंचायत घर ऑफिस इम्प्रूवमेंट ,पुस्तकालय इक्विपमेंट	प्रति नग/यूनिट	
08.	एम.आर.एफ.सेन्टर व अन्य सामग्री/कम्प्लीट कार्य	प्रति घन मी./वर्ग मी.	
09.	दीवार टाइल्स/फर्श टाइल्स	वर्ग मीटर	
10.	सरिया/लोहे का जाल/लोहे का गेट खिड़की	प्रति कुंतल	
11.	लोहे की ऐंगल/पाइप/डोर माईल्डस	प्रति कुंतल	
12.	सीमेन्ट की चादर/टीन शेड की चादर	वर्ग मीटर/नग	
13.	लकड़ी के दरवाजे/कामर्शियल/टिम्बर/प्लाई	प्रति नग/वर्ग मी.	
14.	सौलर लाइट नया/मरम्मत उपकरण शौचालय सीट	प्रति नग	
15.	स्ट्रीट लाइट नया/मरम्मत उपकरण/यूरिन सीट	प्रति नग	
16.	बिजली उपकरण/इलेक्ट्रीशियन कार्य सामग्री	प्रति नग	
17.	सेनेट्री सामग्री/ लोहे का फ्रेसिंग तार,ग्राश कटर	प्रति नग/वर्ग मी.	
18.	फोगिंग मशीन/स्प्रे मशीन,सी.सी. बेंच/ डेस्क का बेंच	प्रति नग	
19.	ऑफिस फर्नीचर,कम्प्यूटर प्रिन्टर,इन्वर्टर,बैटरी,सीसी टी.वी.कैमरा,अलमारी,दरी पंखा,डेस्कटॉप,सोलर पैनल, आदि उपयुक्त होने वाली सामग्री।	प्रति नग	
20.	डस्टबिन/इन्सीनेटर/प्लम्बरिंग सामग्री प्लाम्विंग कार्य	प्रति नग	
21.	कूड़ा गाड़ी/ठेली एवं सफाई किट/ ई-रिक्शा	प्रति नग/यूनिट	
22.	सोडियम, हाइड्रोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर व अन्य कीटनाशक व संक्रमक रोधक दवाएं	प्रति ली./किलो ग्राम/ प्रति पैकेट	
23.	प्राईमर लोहा, लकड़ी /प्लाई एवं माइका	प्रति ली./वर्ग फुट/मी.	
24.	डिस्टेम्पर, वॉल पुट्टी, पेंट, समोसम आदि	प्रति कि.ग्रा./कु./ली.	
25.	पी.वी.सी. पाइप एवं जी.आई. पाइप समरसेबिल पम्प	प्रति नग/ रनिंग मीटर	
26.	हैण्डपम्प मरम्मत/रीवोर सामग्री	प्रति नग/रनिंग मीटर	
27.	ओपन जिम/खेल मैदान उपकरण/इंसीनरेटर	प्रति नग	
28.	आर.सी.सी. पाइप, ह्यूम पाइप	प्रति नग/रनिंग मीटर	
29.	वाटर स्टोरेज टैंक/वाटर कूलर आर.ओ.सहित	प्रति नग/लीटर	
30.	रनिंग वाटर सप्लाई उपकरण	प्रति नग/रनिंग मी.	
31.	अन्त्येष्टि स्थल/ समूह शेड	....	
32.	ओडीएफ+ से सम्बंधित समस्त कार्य	....	

नोट:-यदि किसी भी फर्म/सप्लायर/ आपूर्तिकर्ता के लिए कोई भी नया विभागीय नियम प्रचलन में आता है तो संबंधित को उसकी भी कार्रवाई के मानकों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

(श्री देवेन्द्र सिंह ग्राम प्रधान)
ग्राम पंचायत करीमपुर
विकास खण्ड स्वार (रामपुर)

(श्री महेन्द्र प्रताप सिंह सचिव)
ग्राम पंचायत करीमपुर
विकास खण्ड स्वार (रामपुर)

महंगाई के झटके जारी

विभिन्न तरह की समस्याओं से जूझ रही देश की जनता को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। महंगाई ने एक बार फिर आम आदमी के रसोई घर पर हमला किया है। रसोई गैस का सिलेंडर अब और महंगा खरीदना पड़ेगा। सरकारी क्षेत्र की तेल वितरण कंपनियों ने रसोई गैस (एलपीजी) के मूल्य में प्रति सिलेंडर 50 रुपये की बढ़ोतरी की है। इतना ही नहीं उज्ज्वला और सामान्य श्रेणी के दोनों ग्राहकों के लिए गैस की कीमत में भी वृद्धि की गई है। नई कीमतें आज आधी रात से लागू हो जाएंगी। हालांकि राहत वाली बात मानी जा सकती है कि पेट्रोल-डीजल के दाम अभी नहीं बढ़ेंगे। बताते चलें कि तेल कंपनियां हर महीने पिछले महीने के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों, एक्सचेंज रेट और अन्य लागतों के आधार पर एलपीजी की बेस प्राइस तय करती हैं। इसके बाद टैक्स, ट्रांसपोर्ट, और डीलर कमीशन जोड़कर खुदरा मूल्य निकाला जाता है। सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए सरकार अंतर की भरपाई करती है, जबकि गैर-सब्सिडी वाले सिलेंडर की पूरी कीमत ग्राहक चुकाता है। कंपनियों के निर्णय के अनुसार सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर का भाव 803 रुपये से बढ़कर 853 रुपये हो जाएगा। उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी उपभोक्तओं के लिए 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 503 रुपये से बढ़कर 553 रुपये हो जाएगी। सरकार का कहना है कि इन कीमतों की हर 15 दिन पर समीक्षा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में कमी की उम्मीद की जा रही है। इससे देश में एलपीजी सिलेंडर के भाव भी कम होने की उम्मीद की जा सकती है। उज्ज्वला और सामान्य श्रेणी के ग्राहकों दोनों के लिए गैस की कीमत में इजाफा किया गया है। सामान्य उपभोक्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 803 रुपये से बढ़कर 853 रुपये हो जाएगी और उज्ज्वला योजना के तहत उपभोक्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 503 रुपये से बढ़कर 553 रुपये हो जाएगी। हालांकि आम आदमी के लिए राहत वाली बात मानी जा सकती है कि पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने पेट्रोल -डीजल पर एक्साइज ड्यूटी दो रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी है। द ये भी साफ किया कि इससे पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। ये खर्चा पेट्रोलियम कंपनियां उठाएंगी। अभी सरकार पेट्रोल पर 19.90 रुपये लीटर और डीजल पर 15.80 रुपये लीटर एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है। इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल पर 21.90 रुपये लीटर और डीजल पर 17.80 रुपये लीटर ड्यटी लगेगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ड्यूटी को कच्चे तेल की घटी कीमतों से एडजस्ट किया जाएगा।सरकार भले ही सफाई देकर आम आदमी को बहलाने की कोशिश करती रहे, लेकिन इस सच को झुठलाया नहीं जा सकता कि केंद्र सरकार अभी तक आम आदमी को महंगाई की मार से निजात दिलाने में पूरी तरह से नाकाम नजर आई है

साजिशों की उम्र अब बहुत लंबी नहीं

महात्मा बुद्ध व बाबासाहेब जैसे महापुरुष की प्रतिमाओं को हटाने पर सीतापुर में हुआ विवाद एक बड़ी सियासी साजिश की ओर इशारा कर रहा है, सब जानते हैं कि वो कौन हैं, जिनके इशारे पर प्रशासन ऐसा प्रहार कर रहा है, शोषित-वंचित समाज की जागरूकता नई चेतना बनकर उभर रही है, इन साजिशों की उम्र अब बहुत लंबी नहीं बची है, भाजपा षड्यन्त्रकारी पार्टी है, समाज में नफरत फैलाती है, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ती है, भाजपा पीडीए विरोधी है, भाजपा ने पीडीए के हर सम्मान और आरक्षण को छीना है, पीडीए की एकजुटता से भाजपा के लोग घबराए हुए हैं, भाजपा सरकार में पीडीए के साथ षड्यंत्र हो रहा है। समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ बाबा साहब के विरोत्रियों का हर स्तर पर मुकाबला करने को तैयार है।

अखिलेश यादव
अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी

टैरिफ बम की बारिश में भारत व चीन 1 अप्रैल 1950 का दिन भूल गए

1 अप्रैल 1950 को भारत, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर-समाजवादी ब्लॉक देश बन गया, कुछ ही दिनों में हम इस रिश्ते की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे, दो दिग्गज देश चीन और भारत इस विशाल और विविधतापूर्ण भूभाग के हृदय में बसे हैं उनकी नियति एक-दूसरे से अपरिवर्तनीय रूप से जुड़ी हुई है

अशोक भाटिया

दरअसल पूरे सप्ताह डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ बम की बारिश में एक महत्वपूर्ण तारीख की अनदेखी होने की उम्मीद थी, लेकिन अमेरिकी शासकों के वर्तमान सिंहपर्णी काल के मद्देनजर उस घटना के महत्व को अब भी उजागर किया जाना चाहिए। वह तारीख 1 अप्रैल थी, ठीक 75 साल पहले, 1 अप्रैल, 1950 को, जब भारत और चीन के बीच आधिकारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए तब भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में एक ऐसा नेता थे जिसकी वैश्विक छाप थी। अंग्रेजों को गए अभी तीन साल ही हुए थे, इसलिए कुछ हद तक पश्चिमी मुख्यधारा का मीडिया भारत पर ध्यान दे रहा था। यह संभावना नहीं थी कि भारत और चीन भविष्य में सबसे अधिक आबादी वाले देश और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं बन जाएंगे। दूसरा देश कुशल श्रम का सबसे बड़ा निर्यातक है, और कई मामलों में दुनिया का अग्रणी बाजार है।

अलग-अलग समय पर विभिन्न चीनी शासकों ने यह देखने की इच्छा व्यक्त की कि अगर ये दोनों देश एक साथ आते हैं तो क्या होगा। गौरतलब है कि 1 अप्रैल, 1950 को भारत, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर-समाजवादी ब्लॉक देश बन गया। कुछ ही दिनों में हम इस रिश्ते की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। दो दिग्गज देश-चीन और भारत-इस विशाल और विविधतापूर्ण भूभाग के हृदय में बसे हैं, उनकी नियति एक-दूसरे से अपरिवर्तनीय रूप से जुड़ी हुई है। जैसा कि वांग यी ने

उल्लेख किया, माओ ने चीन और भारत के सामंजस्यपूर्ण ढंग से मिलकर काम करने के महत्व का वर्णन करने के लिए 'ड्रैगन और हाथी के सहकारी पा डे डेक्स' के रूपक का उपयोग किया। 300 बिलियन से अधिक आबादी वाले ये देश न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य को आकार देने की शक्ति रखते हैं। फिर भी, उनके आर्थिक उत्थान और गहरे ऐतिहा. सिक संबंधों के बावजूद, उनके रिश्ते में गहरी उलझन बनी हुई है, जो संदेह, असुरक्षा और संघर्ष की एक अनसुलझी विरासत से भरी हुई है। अगर एशिया में शांति बनी रहनी है, तो यह इस सवाल पर निर्भर करता है। क्या भारत और चीन इतिहास के बोझ को कम कर सकते हैं और सहयोग, सम्मान और स्थिरता का भविष्य बना सकते हैं?

फिर भी, हाल के महीनों में बदलाव के संकेत मिले हैं। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की ज़रूरत दोहराई-यह एक ऐसा बयान था जो वैश्विक व्यवस्था की वास्तविकता को स्वीकार करता है और इस बात की मौन स्वीकृति भी है कि भारत और चीन के बीच संघर्ष न केवल एशिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगा। भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के अपने प्रयास में मोदी, चीन के साथ संबंधों को स्थिर करने के महत्व के प्रति पूरी तरह जागरूक हो गए हैं, तथा मतभेद की जगह संवाद, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक फोकस को प्राथमिकता दे रहे हैं। अतीत को दरकिनार कर भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने के अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण के प्रति उनके जोर को घरेलू स्तर पर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है।

अपने देश के उत्थान से उत्साहित भारतीय राष्ट्रवादियों ने चीन के साथ रिश्ते बनाने की समझदारी पर सवाल उठाया है और सरकार पर भारत की संप्रभुता से समझौता करने का आरोप लगाया है। लेकिन यह एक ज़रूरी बातचीत है-जो पक्षपातपूर्ण राजनीति और कट्टर राष्ट्रवाद से परे है, और इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि भारत और पूरे एशिया के लिए क्या सबसे अच्छा है। वास्तव में, शुरू से ही चीन भारत का प्रतिद्वंद्वी था। आज इसे बहुत अवमानना से बदल दिया गया हो सकता है। आज, यहां के लोग अक्सर आश्चर्य करते हैं कि क्यों। यद्यपि भारत को चीनी सरकार के माध्यम से एक 'अक्षम, आलसी' देश के रूप में वर्णित किया जाता है, भारत का महत्व एक सीमा से परे है, पहली सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका नई सहस्राब्दी में, कमोबेश यूरोप, हमेशा जापान। चीनी नेतृत्व इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकता और न ही इंकार कर सकता है कि यह हाल के दिनों में अरब राज्यों की नजर में हमेशा रहा है!

चीन ने तिब्बत के ब्रिटिश सीमांकन को मंजूरी नहीं दी। जापान ने चीन पर कई आक्रमण किए यहां तक कि कई वर्षों तक अधिकांश क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। चीन आज उस पुराने 'दर्द' को जला रहा है, क्योंकि उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले दशक में चीनी आधिपत्य में चीनी संस्कृतिवाद को जोड़ा। 1995 तक, चीन की अर्थव्यवस्था गति और विस्तार के मापदंडों पर भारत से पीछे थी। मानव इतिहास में यह दूसरा उदाहरण नहीं है कि किसी देश ने किसी भी देश पर आक्रमण किए बिना 20 वर्षों की अवधि में इतनी तेजी से आर्थिक प्रगति की है। चीन की प्रगति न केवल आर्थिक मोर्चे पर थी, यह तकनीकी प्रगति पर हावी थी, न ही यह सैन्य बल वृद्धि से प्रेरित थी। अंतरमहाद्वीपीय मिसा. इलें, लड़ाकू विमान, लड़ाकू युद्धपोतों और लंबी दूरी की पनडुब्बियों को चीन की जनसांख्यिकीय और तकनीकी क्षमताओं के संयोजन के माध्यम से बड़े पैमाने पर और तेजी से बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में, जहां रूस का महत्व कम हो गया था और यह धारणा थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका अब दुश्मन नहीं था, चीन ने आसानी से उस स्थान पर कब्जा कर लिया। आज, व्यापार युद्ध में और रणनीतिक संदर्भ में, यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियां निर्धारित की जाती हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका चीन से डरता है। यह भी सच है कि इस अवधि के दौरान भारत बहुत पिछड़ रहा था। यही है, अर्थव्यवस्था का भी विस्तार हो रहा था, लेकिन चीन की दौड़ की तुलना में, हम केवल डुडुडुडु चला रहे थे। 1962 के युद्ध में, चीन ने भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश की। यह कुछ हद तक सफल रहा। शी के युद्ध के कारण, चीन ने पूर्वी लद्दाख, विशेष रूप से पूर्वी लद्दाख के हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश की। यह सच था कि यह भारत सरकार और सेना की सतर्कता से उचित था। लेकिन यह भी सच है कि 2020 में आक्रामक हुए चीन ने 2023 के अंत में और 2024 में खुद ही बातचीत शुरू कर दी थी। ऐसा क्यों होना चाहिए था? इससे पता चलता है कि भारत के मामले में चीनी शासकों की नीति में कोई संगति नहीं है। कभी अवमानना, कभी अवमानना, कभी सम्मान होता है। ऐसा लगता है कि 'सम्मान अवधि' होनी चाहिए। पिछले साल चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकल गया। लेकिन इस व्यापार में भी, इस व्यापार में चीन का हिस्सा 85.1 बिलियन डॉलर जितना बड़ा है। बातचीत के माध्यम से विवादास्पद मुद्दों को हल करने और आर्थिक सहयोग बढ़ाने की चीन की बात हाल ही में बढ़ रही है। पाकिस्तान के अलावा, चीन का कोई भी सहयोगी भारत के प्रति सीधे शत्रुतापूर्ण नहीं है।

बुलढाणा में फैली गंजेपन की समस्या...

अर्पिता व्यास

लोगों में बाल झड़ने की घटनाएं बढ़ती जा रही थीं, तीन दिन में लगभग 51 व्यक्ति गंजे हो चुके थे, चिकित्सा विभाग ने उस क्षेत्र का एक सर्वे किया, त्वचा रोग विशेषज्ञ भी गांव पहुंच गए, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बाल झड़ना एक कवक (फफूंद) के संक्रमण के कारण हो रहा है जो संदूषित पानी से फैल रहा है, प्रभावित लोगों ने बताया कि इसकी शुरुआत बालों की जड़ों में खुजली होने से होती है, उसके बाद बाल पतले होने लगते हैं। फिर 3 दिनों में पूरे बाल झड़ जाते है और पूरी तरह गंजापन आ जाता है, यहां तक कि दाढ़ी के बाल भी गिर जाते हैं

पिछले दिनों महाराष्ट्र के बुलढाणा ज़िले के गांवों में लोगों में बालों के झड़ने की एक विचित्र घटना सामने आई। बुलढाणा ज़िले के शेगांव तालुका में अचानक लोगों के बाल झड़ने लगे। यह महिलाओं और पुरुषों दोनों में देखा गया। गांव के लोग अटकलें लगाने लगे कि यह किसी वायरस की वजह से हो रहा है। तत्काल हुई जांचों में पता चला कि बोंडगांव और खातखेड़ के पानी में नाइट्रेट काफी ज्यादा मात्रा में है और साथ ही उसमें कुल घुलित लवण यानी **TDS** भी अधिक था। यह पता लगा कि पानी पीने के लिए सही नहीं है। यह अनुमान लगाया गया कि शायद यही बाल झड़ने का कारण हो सकता है।

लोगों में बाल झड़ने की घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। 3 दिन में लगभग 51 व्यक्ति गंजे हो चुके थे। चिकित्सा विभाग ने उस क्षेत्र का एक सर्वे किया। त्वचा रोग विशेषज्ञ भी गांव पहुंच गए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बाल झड़ना एक कवक (फफूंद) के संक्रमण के कारण हो रहा है जो संदूषित पानी से फैल रहा है। प्रभावित लोगों ने बताया कि इसकी शुरुआत बालों की जड़ों में खुजली होने से होती है, उसके बाद बाल पतले होने लगते हैं। फिर 3 दिनों में पूरे बाल झड़ जाते है और पूरी तरह गंजापन आ जाता है। यहां तक कि दाढ़ी के बाल भी गिर जाते हैं।

हालांकि संदूषित पानी को ही कारण माना जा रहा था फिर भी जांच आगे जारी रखी गई। त्वचा और पानी के नमूने जांच के लिए भेजे गए। पानी के अत्यधिक संदूषित होने के कारण उसका उपयोग प्रतिबंधित करके गांव वालों के लिए दूसरे स्रोतों से पानी उपलब्ध करवाया गया। अन्य स्रोत से पानी देने लगे तो लगा कि अब और मामले नहीं बढ़ेंगे लेकिन मामले तो बढ़ते ही जा रहे थे। पूर्व में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (**ICMR**) से आई टीम ने जांच में पाया था कि प्रभावित लोगों में सेलेनियम की मात्रा अधिक है जो शायद बालों के झड़ने का कारण है। सेले. नियम राशन की दुकान से वितरित गेहूं में अधिक पाया गया था। अलबत्ता, टीम ने पक्का निष्कर्ष नहीं दिया था कि यही बाल झड़ने का कारण है। गेहूं के नमूने जांच के लिए वारणी एनालिटिक्स लैब, ठाणे पहुंचाए गए। वहां बिना धुले गेहूं में सेलेनियम 14.52 मि.ग्रा./कि.ग्रा पाया गया और धुले हुए गेहूं में 13.61 मि.ग्रा./कि.ग्रा जबकि गेहूं में सेले. नियम की सामान्य मात्रा 0.1 से 1.9 मि.ग्रा./कि.ग्रा होती है। यानी इस गेहूं में सेलेनियम की मात्रा सामान्य अधिकतम मात्रा से 8 गुना अधिक थी। राशन के गेहूं के पैकेट्स को चेक किया गया तो देखा कि ये पंजाब से आए थे।

3 दिन में लगभग 51 व्यक्ति गंजे हो चुके थे, चिकित्सा विभाग ने उस क्षेत्र का एक सर्वे किया, त्वचा रोग विशेषज्ञ भी गांव पहुंच गए, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बाल झड़ना एक कवक (फफूंद) के संक्रमण के कारण हो रहा है जो संदूषित पानी से फैल रहा है, प्रभावित लोगों ने बताया कि इसकी शुरुआत बालों की जड़ों में खुजली होने से होती है

इसी तरह, 2000 के दशक के शुरू में पंजाब के दो ज़िलों होशियारपुर और नवांशहर में भी बालों के झड़ने की घटनाएं हुई थीं। ये दोनों ज़िले शिवालिक पर्वतों की तराई में स्थित हैं। तब यहां सेलेनियम नदियों की बाढ़ से आए पानी के साथ आया था। एक अन्य रिपोर्ट में प्रभावित लोगों के खून में ज़िंक की कमी भी पाई गई जो बालों की वृद्धि लिए उत्तरदाई है। सेलेनियम की वृद्धि और ज़िंक की कमी, दोनों कारणों से बाल झड़ने की घटनाएं हुई। 15 गांव के लगभग 300 लोग प्रभावित हुए। अच्छी बात यह है कि कुछ वक्त में लोगों के बाल वापस आ गए क्योंकि बालों की जड़ें सलामत थीं।

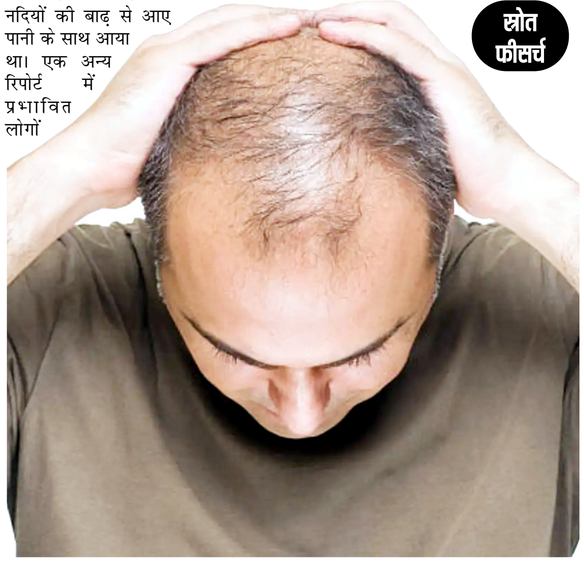

स्रोत फीसर्च

वक्फ कानून में संशोधन किस लिए...

विनीत नारायण

देश में 8.7 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं जिनकी कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है लेकिन इनका उपयोग गरीब मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रहा

वक्फ संशोधन बिल, जिसे हाल ही में भारतीय संसद में पेश किया गया और 2-3 अप्रैल 2025 को लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया गया, देश में एक गहन बहस का विषय बन गया है। यह बिल 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करने और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाने का दावा करता है। सरकार इसे एक प्रगतिशील कदम के रूप में पेश कर रही है, जबकि विपक्ष और कई मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक स्वायत्तता पर हमला मानते हैं। इस लेख में हम इस बिल के समर्थन और विरोध के तर्कों को तटस्थ दृष्टिकोण से देखेंगे और इसके संभावित प्रभावों का आकलन करेंगे।

वक्फ एक इस्लामी परंपरा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिक, शैक्षिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए समर्पित कर देता है। भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन 1995 के वक्फ अधिनियम के तहत होता है, जिसके अंतर्गत राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद कार्य करते हैं। वक्फ संशोधन बिल 2024 में कई बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं, जैसे वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम और महिला सदस्यों की अनिवार्यता, संपत्ति सर्वेक्षण के लिए कलेक्टर की भूमिका और विवादों में हाई कोर्ट की अपील का प्रावधान। सरकार का कहना है कि यह बिल वक्फ प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा, जबकि विरोधी इसे वक्फ की मूल भावना के खिलाफ मानते हैं। इस बिल का समर्थन करने वाले जो तर्क देते हैं उनका कहना है कि वक्फ बोर्डों में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की शिकायतें लंबे समय से चली आ रही हैं। देश में 8.7 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं, जिनकी कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है, लेकिन इनका उपयोग गरीब मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रहा। कलेक्टर द्वारा संपत्ति सर्वेक्षण और रिकॉर्ड डिजिटलीकरण जैसे प्रावधानों से इन संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन संभव होगा। बिल में वक्फ बोर्ड में कम से कम दो महिलाओं और गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल

करने का प्रावधान भी है। समर्थकों का तर्क है कि इससे बोर्ड में लैंगिक और सामाजिक समावेशिता बढ़ेगी। विशेष रूप से पसमांदा मुस्लिम समुदाय, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है, इस बिल का समर्थन करता है, क्योंकि उनका मानना है कि मौजूदा व्यवस्था में धनी और प्रभावशाली लोग वक्फ संपत्तियों पर कब्जा जमाए हुए हैं। पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम माना जाता था, जिसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। नए बिल में हाई कोर्ट में अपील का अधिकार दिया गया है, जिसे समर्थक संविधान के अनुरूप और न्यायसंगत मानते हैं। उनका कहना है कि इससे वक्फ बोर्ड के मनमाने फैसलों पर अंकुश लगेगा। बिल में यह शर्त भी जोड़ी गई है कि बिना दान के कोई संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। समर्थकों का कहना है कि इससे उन मामलों में कमी आएगी जहां वक्फ बोर्ड बिना ठोस सबूत के संपत्तियों पर दावा करता था, जिससे आम लोगों को परेशानी होती थी।

वहीं इस बिल के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विपक्षी दलों का कहना है कि यह बिल वक्फ की मूल भावना को कमजोर करता है। वक्फ एक धार्मिक परंपरा है और इसमें गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना इसकी पवित्रता को नुकसान पहुंचाएगा। उनका यह भी आरोप है कि सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने की योजना बना रही है। बिल में कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने और उनकी स्थिति तय करने का अधिकार दिया गया है। विरोधियों का कहना है कि यह एक सरकारी हस्तक्षेप है, जो वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को खत्म कर देगा। उनका तर्क है कि कलेक्टर, जो ज्यादातर गैर-मुस्लिम हो सकता है, वक्फ के धार्मिक महत्व को नहीं समझ पाएगा। विपक्ष का दावा है कि यह बिल संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार देता है। उनका कहना है कि वक्फ एक इस्लामी परंपरा है और इसमें सरकारी दखल अल्पसंख्यक अधिकारों पर हमला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य संगठनों ने बिल के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किए हैं। ईद और जुमातुल विदा जैसे अवसरों पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने की अपील इसका उदाहरण है। विरोधियों का कहना है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय को अपने ही धर्म से दूर करने की साजिश है। वक्फ संशोधन बिल के लागू होने से कई सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यदि यह पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ाता है, तो वक्फ संपत्तियों का उपयोग गरीब मुस्लिमों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए बेहतर तरीके से हो सकता है। दूसरी ओर, यदि यह धार्मिक स्वायत्तता को कमजोर करता है या सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाता है, तो इससे मुस्लिम समुदाय में असंतोष और अविश्वास बढ़ सकता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह बिल सत्तारूढ़ एनडीए के लिए एक जोखिम भरा कदम है।

जहां बीजेपी इसे हिंदू मतदाताओं के बीच वक्फ बोर्ड की कथित मनमानी के खिलाफ एक कदम के रूप में पेश कर सकती है, वहीं सहयोगी दल जैसे जेडीयू टीडीपी और आरएलडी को अपने मुस्लिम समर्थकों के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। यदि मोदी सरकार संसद में बहुमत के चलते इस बिल को अपने पिछले दो कार्यकालों में बड़े आराम से ला सकती थी। लेकिन तीसरे कार्यकाल में इस बिल को लाकर भाजपा ने अपने सहयोगी दलों को पशोपेश में डाल दिया है। वक्फ संशोधन बिल एक जटिल मुद्दा है, जिसमें सुधार की आवश्यकता और धार्मिक संवेदनशीलता के बीच संत. ुलन बनाना जरूरी है। समर्थकों के लिए यह भ्रष्टाचार को खत्म करने और वक्फ को आधुनिक बनाने का अवसर है, जबकि विरोधियों के लिए यह धार्मिक पहचान और स्वायत्तता पर हमला है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपी है। इस बिल का असली प्रभाव इसके कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा। यदि सरकार इसे संवे. दनशीलता और पारदर्शिता के साथ लागू करती है, तो यह एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। लेकिन यदि इसे जल्दबाजी या राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया, तो यह सामाजिक तनाव को और गहरा सकता है। अंततः इस बिल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह वक्फ की मूल भावना को कितना सम्मान देता है और समाज के सभी वर्गों को कितना लाभ पहुंचाता है।

मकड़ियों की पतली कमर

कई लोगों को मकड़ियों से नफरत होती है और कई लोगों को उनसे डर भी लगता है-इसी भावना को व्यक्त करने के लिए बना है शब्द एरेक्नेफोबिया। लेकिन वैज्ञानिकों को मकड़ियों की एक बात आकर्षित करती है-उनकी पतली कमर। कहते तो यहां तक हैं कि जिस रेत-घड़ीनुमा फिगर की कामना कई तारिकाएं करती हैं, वह मकड़ियों को तो सहज ही मिल गया है। और अब प्लॉस बायोलॉजी में प्रकाशित एक शोध पत्र बताता है कि इसके लिए मकड़ियों को डाएटिंग वगैरह नहीं करना पड़ता, बल्कि यह एक प्राचीन जीन का कमाल है। इस शोध पत्र के लेखकों-विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय की एमिली सेटन और उनके साथियों-ने दक्षिण-पूर्वी कोलोरैडो के घास के मैदानों में तफरीह करते हुए टेक्सास ब्राउन टेरेंटुला (**Aphonopelma hentzi**) नामक मकड़ी के भ्रूण इकट्ठे किए। इन भ्रूणों के जीनोम के अनुक्रमण से उन्हें 12 ऐसे जीन्स मिले जो कमर के दोनों ओर की कोशिकाओं में विकास के दौरान अभिव्यक्त होते हैं। आम घरेलू मकड़ी (**Parasteatoda tepidariorum**) के भ्रूणों में इन 12 जीन्स को एक-एक करके निष्क्रिय करने पर पता चला कि इनमें से एक (जिसे नाम दिया गया है **waist&less**) कमर के उस विशिष्ट पिचके हुए हिस्से के लिए ज़िम्मेदार होता है जो मकड़ी के शरीर को दो भागों में बांटता है। जिन भ्रूणों में यह जीन नहीं होता वे एकदम गोल-मटोल आठ टांग वाली मकड़ी में विकसित हो जाते हैं। शोधकर्ताओं का मत है कि **waista&less** जीन लाखों साल पहले अस्तित्व में आया था और कई प्रजातियों के भ्रूणीय विकास में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन कीटों व केंकड़ानुमा जंतुओं ने इसे गंवा दिया। मकड़ियों में यह बना रहा और उन्हें उनकी पतली कमर देता रहा।

स्रोत फीसर्च

ब्रुक बने टी-20, वनडे कैप्टन

कहाः यह मेरे लिए सम्मान की बात, जोस बटलर की जगह लेंगे

लंदन, वार्ता। हैरी ब्रकू इंग्लैंड की टी-20 और वनडे क्रिकेट टीम के नए कप्तान बनाए गए हैं। म्ब्ठ ने सोमवार को ब्रुक को वाइट बाल कैप्टन बनाने का ऐलान किया। वे जोस बटलर की जगह लेंगे। बटलर ने पिछले महीने चैंपियंस ट्राफी 2025 के बाद कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया था। 26 साल के हैरी ब्रुक ने कहा- श्यह मेरे लिए सम्मान की बात है। जब मैं व्हार्फडेल में बर्ले क्रिकेट खेलता था। तब यार्कशायर से खेलने और इंग्लैंड की कप्तानी करने का सपना देखता था। यह मौकों मेरे लिए बहुत मायने रखता है।आस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में कप्तानी कर चुके हैं ब्रुक ब्रुक जनवरी 2022 में डेब्यू करने के बाद से इंग्लैंड की वाइट बाल टीम का अहम हिस्सा हैं। वे पिछले एक साल से वनडे और टी-20 टीम के वाइस कैप्टन हैं। उन्होंने सितंबर-2024 में बटलर की गैरमौजूदगी में आस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में इंग्लिश की कप्तानी कर चुके हैं।

वे न्यूजीलैंड में 2018 आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड की कप्तानी कर चुके हैं। खराब प्रदर्शन की वजह से बटलर ने कप्तानी छोड़ी थी जोस बटलर ने पिछले महीने चैंपियंस ट्राफी में टीम के खराब प्रदर्शन की वजह से कप्तानी छोड़ दी थी। उन्होंने एक मार्च को कराची में टीम के आखिरी ग्रुप स्टेज मैच से पहले कहा था- श्मेरे लिए कप्तानी छोड़ने का यही सही समय है, टीम के लिए भी यही समय है।श इंग्लिश टीम चैंपियंस ट्राफी में एक भी मैच नहीं जीत सकी थी और ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी। इतना ही नहीं, टीम 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में नाकआउट स्टेज तक नहीं पहुंच सकी थी।

पंजाब के खिलाफ मैच में जीत की पटरी पर वापस आना चाहेगी चेन्नई सुपर किंग्स

चंडीगढ़, वार्ता। लगातार मिली तीन हार से तिलमिलायी चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) मंगलवार को यहां पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के खिलाफ अहम आईपीएल मुकाबले में जीत की राह पर लौटने की हर मुमकिन कोशिश करेगी।

मुंबई इंडियंस पर शानदार जीत के साथ आईपीएल 2025 अभियान की शुरुआत करने वाली सीएसके को लगातार तीन हार का सामना करना पड़ा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स से उसने मुंह की खाई है। हार की हैट्रिक ने टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी में कमजोरियों को उजागर किया है। पांच बार की चैंपियन टीम अब तक खेले गए चार मैचों में अपने 17 खिलाड़ियों का इस्तेमाल कर चुकी है। यह बदलाव स्पष्ट रूप से तय रणनीति की कमी को दर्शाता है। पिछले चार मैचों में 121 रन बनाने वाले कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पर मुलांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भी निगाहें होंगी। टूर्नामेंट में दस विकेट अपने नाम करने वाले नूर अहमद भी टीम की सबसे बड़ी उम्मीद बने हुए हैं। हालाँकि, रवींद्र जडेजा और शिवम दुबे जैसे वरिष्ठ खिलाड़ियों की फॉर्म और भूमिका और

हार की हैट्रिक ने टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी में कमजोरियों को उजागर किया है

रविचंद्रन अश्विन की अगुआई में उनके स्पिन विभाग से निराशाजनक वापसी को लेकर सवाल बने हुए हैं। इसके विपरीत, राजस्थान रॉयल्स से 50 रन से हारने के बावजूद पंजाब किंग्स में अधिक एकजुटता दिखी है।

श्रेयस अय्यर ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया है और तीन मैचों में 159 रन बनाए हैं जबकि नेहल वढेरा ने मध्य क्रम में प्रभावित किया है। पीबीकेएस अपने पिछले पांच मुकाबलों में से चार में जीत हासिल करने के साथ सीएसके पर अपना हालिया दबदबा बनाए रखने के लिए खुद को तैयार करेगी। हालांकि, सीएसके मई 2024 में पीबीकेएस के खिलाफ अपने आखिरी मुकाबले से उत्साहित होगी, जहां उन्होंने 28 रन की जीत दर्ज की थी। रलवद्र जडेजा भी गेंद और बल्ले के अलावा क्षेत्ररक्षक की भूमिका का निर्वहन करेंगे। मैच शामं 7:30 बजे साफ आसमान के नीचे शुरू होने वाला है।

मुलनपुर की पिच ने संतुलन के संकेत दिखाए हैं, लेकिन यह पीछा करने वाली टीमों के पक्ष में है, पिछले सीजन में इस स्थल पर पांच में से तीन मैच पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने जीते थे। दोनों टीमें हार के बाद आई हैं और टूर्नामेंट की लय अधर में लटकी हुई है, ऐसे में मंगलवार का मैच रोमांचक होने की उम्मीद है।

पंजाब किंग्सः प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेट कीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, सूर्यांश शेडगे, मार्को जेनसन, लॉकी फर्ग्यूसन, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह

चेन्नई सुपर किंग्सः रचिन रवींद्र, डेवोन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), विजय शंकर, रवींद्र जडेजा, एमएस धोनी (विकेट कीपर), रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, खलील अहमद, मथीशा पथिराना

टोरंटो-इंटर मियामी के बीच मुकाबला बराबरी पर

मियामी। लियोनेल मेसी के पहले हाफ में किए गए गोल के बावजूद इंटर मियामी ने टोरंटो के खिलाफ एमएलएस मैच 1-1 की बराबरी पर खत्म किया। इतालवी मिडफील्डर फेडेरिको बर्नार्डेस्की ने रविवार को हमवतन लोरेंजो इनसिग्ने के साथ मिलकर फोर्ट लॉडरडेल में शानदार फिनिश के साथ कनाडाई टीम को बढ़त दिलाई। मेसी ने टेलास्को के पास के बाद गोलकीपर सीन जॉनसन को चकमा देते हुए लो ड्राइव को गोल में बदला और अपनी टीम को बराबरी पर ला दिया। इंटर मियामी ने दो तिहाई से अधिक समय तक गेंद को अपने कब्जे पर रखा लेकिन जॉनसन ने दूसरे हाफ में लगातार हो रहे हमलों से गोल को रोकने में सफलता हासिल की। उन्होने शानदार गोलकीपिंग का प्रदर्शन करते हुये मैच के दौरान नौ गोल बचाए। इस परिणाम के साथ इंटर मियामी 15 टीमों की ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस सूची में छह मैचों में 14 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। टोरंटो अभी तक केवल तीन अंकों के साथ 14वें स्थान पर है।

एफआईएच प्रतिनिधिमंडल मई में करेगा लॉस एंजिल्स का दौरा

स्वट्जरलैंड। एफआईएच का एक प्रतिनिधिमंडल मई में लॉस एंजिल्स का दौरा करेगा। एफआईएच सूत्रों ने सोमवार को बताया कि एफआईएच पांच से नौ मई के बीच लॉस एंजिल्स में अपना निरीक्षण दौरा करेगा, जिसमें एलए28 और यूएसए फील्ड हॉकी के साथ हॉकी स्थल और संचालन का मूल्यांकन किया जाएगा। हॉकी का आयोजन कार्सन फील्ड्स में होगा, जिसमें टेनिस, रग्बी 7, साइकिलिंग और तीरंदाजी भी आयोजित की जाती है। अध्यक्ष इकराम ने ओलंपिक मंच पर हॉकी को ऊपर उठाने के लिए एलए28 नेतृत्व के प्रति आभार जताते हुये कहा ह्व एलए28 के साथ हमारा जुड़ाव नवाचार, विरासत और उत्कृष्टता के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

गिल ने जमकर की सिराज की तारीफ

● गेंदबाजी और फिल्डिंग के दौरान जो ऊर्जा सिराज लाते है वह देखना शानदार है

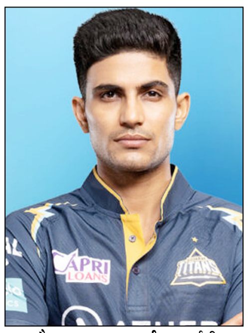

हैदराबाद, वार्ता। आईपीएल 2025 के 19वें मैच में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को सात विकेट से हरा दिया। मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी के बाद कप्तान शुभमन गिल की शानदार पारी से गुजरात की टीम जीतने में कामयाब रही। मैच के बाद गुजरात के कप्तान ने सिराज की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने गेंदबाजों को टी20 क्रिकेट में गेमचेंजर बताया। मैच में सिराज ने 17 रन देकर चार विकेट लिए थे। उनके अलावा तेज गेंदबाज प्रसि(ख्रष्णा और बाएं हाथ के स्पिनर साई किशोर ने भी दो-दो विकेट चटकाए। मैच के बाद गिल ने कहा, श्गेंदबाज मैच का रूख बदल देते हैं। खासतौर पर इस प्रारूप में। काफी लोग टी20 में बल्लेबाजी और हिटिंग की बात करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि मैच गेंदबाजों द्वारा जीते जाते हैं। इसलिए इस फेंचाइजी में गेंदबाजों को काफी तवज्जो दी जाती है।श गिल ने कहा, श्हम पूरे मैदान में शाट खेलना चाहते थे। मेरे और वाशिंगटन सुंदर के बीच यही बातचीत हुई थी। सुंदर मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में उत्साहित थे, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर नियम के साथ, आपको कई बार अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। जिस तरह से उन्होंने इस मैच में बल्लेबाजी की वह शानदार थी। हमारे बीच कोई खास बातचीत नहीं हुई। बस हम अच्छे क्रिकेटिंग शाट्स खेलने के बारे में सोच रहे थे। एक बार जब हमने 30-40 रन की साझेदारी कर ली तो हमने खेल खत्म करने का सोचा। गेंदबाजी और फील्डिग के दौरान जो ऊर्जा सिराज लाते हैं, वह देखना शानदार है। वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने हैदराबाद की पिच पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, श्यह हैदराबाद का पारंपरिक विकेट नहीं है। यहां गेंद स्किड हो रही थी, लेकिन हैदराबाद का पारंपरिक विकेट थोड़ा कठोर है। इस पिच पर खेलना बहुत मुश्किल था। अंत में यह विकेट उतना स्पिन भी नहीं कर रहा था जैसा हमने सोचा था। हमारा स्कोर भी अच्छा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। उनकी तेज गेंदबाजी को भी इस मैच में खेलना थोड़ा मुश्किल था। चार महीने बाद मैदान पर वापसी के लिए तैयार बुमराह, मैच से पहले अभ्यास सत्र में दमखम से की गेंदबाजी मैच की बात करें तो गुजरात के गेंदबाजों ने पहले बल्लेबाजी कर रही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 20 ओवर में आठ विकेट पर 152 रन ही बनाने दिया। जवाब में कप्तान शुभमन गिल (नाबाद 61 रन) के अर्द्धशतक और वाशिंगटन सुंदर (49 रन) के साथ उनकी तीसरे विकेट के लिए 56 गेंद में 90 रन की साझेदारी की बदौलत गुजरात ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की। गिल और शेरफाने रदरफोर्ड (नाबाद 35 रन, 16 गेंद, छह चौके, एक छक्का) के बीच चौथे विकेट के लिए 21 गेंद में 47 रन की अटूट साझेदारी हुई। गुजरात ने 16.4 ओवर में तीन विकेट पर 153 रन बनाकर जीत हासिल की।

एलएसजी के खिलाफ लय बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी केकेआर

■ केकेआर की वापसी में उसकी संतुलित गेंदबाजी का अहम योगदान है

कोलकाता, वार्ता। सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफर 80 रनों की एकतरफा जीत से उत्साहित कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) मंगलवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल)के 21वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ जीत की लय बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी। निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अपने घरेलू मैदान पर गत विजेता की शानदार जीत ने न केवल उसे अंक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंचा दिया, बल्कि टीम में विश्वास भी जगा है, जो कि पहले के मैचों में नजर नहीं आ रहा था। केकेआर को नेट रन रेट अब +0-070 पर है जिसको देखते हुये मौजूदा सत्र में टीम प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुयी है। केकेआर की वापसी में उसकी संतुलित गेंदबाजी का अहम योगदान है, खासकर वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन की स्पिन जोड़ी ने एसआरएच को जीत से दूर कर दिया। लखनऊ की टीम के खिलाफ भी दोनो फिरकी गेंदबाजों के आठ ओवर आकर्षण का केंद्र होंगे। लखनऊ की टीम बल्ले से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। वेंकटेश अय्यर ने एसआरएच के खिलाफ 29 गेंदों पर 60 रन बनाए जबकि अंगकृष रघुवंशी ने 50 रनों की पारी खेली, जिससे केकेआर के बल्लेबाजी क्रम को आत्मविश्वास मिला। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने शीर्ष क्रम को संभाला वहीं फिनिसर्स के तौर पर माने जाने वाले रिंकू सिंह से टीम को एक मजबूती प्रदान हुई है। सलामी बल्लेबाजों ने अभी तक अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन नंबर 3 और 4 पर स्थिरता ने उस दबाव को कुछ हद तक कम कर दिया है। इस बीच, एलएसजी ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 12 रनों की मामूली जीत दर्ज की और तालिका में छठे स्थान पर है। निक. लस पूरन 218-47 के शानदार स्ट्राइक रेट से 201 रन बनाकर इस सीज़न में उनके सबसे लगातार बल्लेबाज़ बने हुए हैं, लेकिन बाकी बल्लेबाज़ी क्रम अभी तक एक साथ नहीं चल पाया है। पिछले मैच में हालांकि मिशेल मार्श के अर्द्धशतक ने हौसला बढ़ाया है, लेकिन ऋषभ पंत और डेविड मिलर का लगातार खराब फॉर्म टीम के लिए चिंता का विषय है। गेंदबाजी के मोर्चे पर, शार्दुल ठाकुर एलएसजी के लिए विकेट लेने वालों में से रहे हैं, लेकिन उनकी इकॉनमी चिंता का विषय बनी हुई है। रवि बिश्नोई और युवा दिग्वेश सिंह राठी को बीच के ओवरों में खास भूमिका निभानी होगी। ईडन गार्डन्स की पिच स्पिनरों के अनुकूल है और धैर्य से खेलने पर फायदा हो सकता है, इसलिए मंगलवार का मुकाबला इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रत्येक टीम बीच के ओवरों में कितनी अच्छी तरह से संभलकर खेलती है। शाम को हल्की नमी के साथ मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है।

केकेआर की टीम में क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), सुनील नरेन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, मोइन अली, रमनदीप सिंह, आंद्रे रसेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा है और प्रभावशाली खिलाड़ी के तौर पर अंगकृष रघुवंशी को रखा गया है। **एलएसजी** की टीम में मार्कराम, मिशेल मार्श, पूरन, पंत (कप्तान व विकेटकीपर), आयुष, डेविड, अब्दुल समद, शार्दुल, दिग्वेश सिंह राठी, आकाश दीप, अवेश खान को लिया।

पीएम ने देश में नई खेल संस्कृति को दिया बढ़ावा : योगी

● पहली बार किसी प्रतियोगिता में 1341 खिलाड़ी भाग ले रहे है

लखनऊ, वार्ता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक नई खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया है। खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट के साथ हर जिले में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के केंद्र इस बात के उदाहरण हैं। योगी ने यहां 35वीं वाहिनी पीएसी,लखनऊ में पहली अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर (हैंडबॉल/बास्केटबॉल) 2024-25 के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कहा कि इन सभी कार्यक्रमों को ध्यान में रख करके ही देश में ऑल इंडिया पुलिस के टूर्नामेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की श्रृंखला प्रारंभ हुई है। आज से अगले पांच दिनों तक ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर- 2025 का आयोजन लखनऊ में होने जा रहा है जिसेमें केंद्रीय बलों और विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों से जुड़े हुई 75 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। प्रतियोगिता में 1,341 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें 336 महिला खिलाड़ी भी हिस्सेदार बनने जा रही हैं। उन्होने कहा कि पहली बार किसी प्रतियोगिता में 75 से अधिक टीमें और 1,341 खिलाड़ी एक साथ प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रदेश की राजधानी में देश भर से पूर्वोत्तर के सुदूर मणिपुर से लेकर करके केरल और तमिलनाडु की टीम, जम्मू कश्मीर से लेकर करके तेलंगाना की टीम, वेस्ट बंगाल की टीमें आयोजन का हिस्सा बन करके इसे नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगी। प्रतियोगिता एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए देश ने एक नई खेल संस्कृति को आगे बढ़ाया है। उसी का परिणाम है कि खेलकूद भी व्यक्ति के जीवन को सजाने और संवारने का माध्यम बन रहा है। सरकार ने प्रदेश में खेल नीति लागू की है। पिछले पांच वर्षों में अकेले प्रदेश पुलिस विभाग ने 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी सुनिश्चित की है।

बीजीटी की जंग आईपीएल में भी जारी

हेड को सिराज ने पहले ओवर में किया आउट, चयनकर्ताओं को भी दिया जवाब

हैदराबाद, वार्ता। आईपीएल 2025 में मोहम्मद सिराज का शानदार फार्म जारी है। रायल चौलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ चिन्नास्वामी स्टेडियम में घातक गेंदबाजी के बाद अब सिराज ने सनराइजर्स को उनके घर हैदराबाद में हार का स्वाद चखाया। चिन्नास्वामी सिराज की पूर्व टीम का होम ग्राउंड है तो हैदराबाद उनका असली होम ग्राउंड। इन दोनों जगहों पर खूब रन बनते हैं, लेकिन सिराज ने दिखा दिया कि वह क्यों मौजूदा समय के सबसे अच्छे तेज गेंदबाजों में से एक हैं। सिराज ने आरसीबी के खिलाफ 19 रन देकर तीन विकेट चटकाए थे, जबकि हैदराबाद के खिलाफ 17 रन देकर चार विकेट लिए। यह उनका आईपीएल में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी है। इतना ही नहीं सिराज ने ट्रेविस हेड को पारी के पहले ओवर में ही पवेलियन भेज दिया। चैंपियंस ट्राफी जीतने वाली भारतीय टीम में नहीं शामिल नहीं किए जाने के बाद उन्होंने अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को भी जवाब दिया है। दरअसल, पिछले साल आस्ट्रेलिया दौरे पर सिराज और हेड के बीच जंग देखने को मिली थी। दोनों मैदान पर भिड़ गए थे। इसके बाद सीरीज खत्म होने तक यह ड्रामा जारी रहा था। अब यही जंग आईपीएल में भी देखने को मिली। इस मैच से पहले हेड ने आईपीएल में कभी सिराज का सामना नहीं किया था।

अव्याना बनीं अंडर-17 की राज्य शतरंज चैंपियन

अव्याना ढिल्लो ने कुल 5 में से कुल 4.5 अंक अर्जित किए

देवरिया। उत्तर प्रदेश राज्य अंडर-7 बालिका वर्ग शतरंज चैम्पियनशिप का खिताब देवरिया की नन्ही अव्याना ढिल्लों ने अपने नाम कर लिया है। उप्र शतरंज खेल सौर के सचिव एके रायजादा ने सोमवार को यहां बताया कि सीता. पुर में हाल ही में सम्पन्न हुई उत्तर प्रदेश राज्य अंडर-7 बालिका वर्ग शतरंज चैंपियनशिप-2025 में अव्याना ढिल्लों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। अव्याना ने कुल 5 में से 4-5 अंक अर्जित किए और प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अव्याना ने अपने विजय अभियान में गौरी सक्सेना, राध्या नारंग और कस्वि को पराजित किया, जबकि अंतिम चक्र में उन्होंने आरना त्रिपाठी से ड्रा खेला। इस बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर अव्याना को अब नेशनल अंडर-7 गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त होगा। अव्याना देवरिया की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की सुपुत्री हैं। वे न केवल शतरंज में उत्कृष्ट हैं।

इशांत पर आईपीएल आचार संहिता उल्लंघन में लगा जुर्माना

हैदराबाद, वार्ता। गुजरात टाइटन्स के गेंदबाज इशांत शर्मा पर रविवार रात यहां राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान आईपीएल आचार संहिता का उल्लंघन करने पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है और उन्हें एक डिमेरिट अंक भी मिला है। इशांत ने अनुच्छेद 2-2 के तहत लेवल 1 के अपराध को स्वीकार किया और मैच रेफरी की सजा को स्वीकारा है। गौरतलब है कि आईपीएल आचार संहिता के लेवल-1 का उल्लंघन के लिए मैच रेफरी का निर्णय अंतिम होता है। इस बीच, रविवार को गुजरात टाइटन्स ने कप्तान शुभमन गिल के शानदार अर्द्धशतक और शेरफेन रदरफोर्ड के पावर-पैक फिनिश के साथ मोहम्मद सिराज के तेजतर्रार चार विकेट के बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद पर सात विकेट से शानदार जीत दर्ज की।

तीसरे वनडे में धीमी ओवर गति के लिए पाक पर जुर्माना

माउंट माउंगानुई। न्यूजीलैंड के खिलाफ शनिवार को तीसरे वनडे में धीमी ओवर गति के लिए पाकिस्तान पर मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। मैच रेफरी के एमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल के जेफ क्रो ने यह जुर्माना लगाया। मोहम्मद रिजवान की टीम को समय भत्ते को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य से एक ओवर कम होने का फैसला सुनाया गया। खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहायक कर्मियों के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2-22 के अनुसार, जो न्यूनतम ओवर-रेट अपराधों से संबंधित है, खिलाड़ियों पर निर्धारित समय में गेंदबाजी करने में विफल रहने पर प्रत्येक ओवर के लिए उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है। आईसीसी मीडिया बयान के अनुसार, रिजवान ने अपराध के लिए दोषी होने की दलील दी और प्रस्तावित दंड को स्वीकार कर लिया।

आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को दिया 222 का लक्ष्य

● विराट कोहली 67 और देवदत्त 37 के बीच 91 रनों की शानदार साझेदारी हुई

मुबंई, वार्ता। विराट कोहली (67)देवदत्त पड्डिक्कल (37) के बीच 91 रन और कप्तान रजत पाटीदार (62) -जितेश शर्मा (40 नाबाद) के बीच 69 रन की विस्फोटक साझीदारियों की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 21वें मैच में सोमवार को मुबंई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ पांच विकेट पर 221 रन का स्कोर खड़ा कर लिया। कोहली आज मैच के शुरु से ही आक्रामक अंदाज में थे। फिल साल्ट (4) का विकेट पहले ही ओवर में गिरने के बावजूद उन्होने पॉवर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए मैदान के चारों ओर रनों की बौछार कर दी। कोहली के रुख को भांपते हुये कप्तान हार्दिक पांड्या ने ट्रेंट बोल्ट को हटा कर स्पिनर विल जैक्स को गेंद थमायी

मगर कोहली पर उसका कोई असर नहीं हुआ। दोनो बल्लेबाजों ने नौवें ओवर तक स्कोर को 95 रन पर पहुंचा दिया। इस बीच पढिक्कल विग्नेश पुथुर की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। नये बल्लेबाज पाटीदार ने कोहली के साथ मिल कर मुबंई के गेंदबाजों की धुनायी जारी रखी। इस बीच अपना कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया। पारी के 15वें ओवर में कोहली हार्दिक पांड्या की ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को खेलने के प्रयास में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े नमन धीर को आसान कैच थमा बैठे। अपनी अर्द्धशतकीय पारी के दौरान कोहली ने 42 गेंद खेलकर आठ चौके और दो छक्के लगाये। कोहली ने इस मैच में टी20 क्रिकेट करियर में अपने 13 हजार रन भी पूरे कर लिए। बेंगलुरु के लिए दूसरी विस्फोटक साझीदारी पाटीदार और विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा के बीच बनी। दोनो बल्लेबाजों ने दर्शनीय शाट खेलकर मैदान पर शमा बांध दिया। दोनो बल्लेबाजों ने मात्र27 गें. दों में 69 रन की साझीदारी कर ली। इस बीच बोल्ट की गेंद पर शाट मारने की कोशश में पाटीदार विकेट के पीछे धरे गए। विकेटकीपर रायन रिकलटन ने काफी दूर जाकर उनका कैच पकड़ा।

राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने किया ग्रामीण पेयजल परियोजना का लोकार्पण

शाह टाइम्स ब्यूरो

रामपुर। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग बलदेव सिंह औलख ने जिलाधिकारी जोगिन्दर सिंह, पुलिस अधीक्षक विद्या सागर मिश्र व मुख्य विकास अधिकारी नन्द किशोर कलाल एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद की तहसील बिलासपुर की ग्राम पंचायत शि. वनगर निकट रामनगर में 199.61 लाख रुपये की धनराशि से स्वीकृत ग्रामीण पेयजल परियोजना का लोकार्पण किया। इस परियोजना के अन्तर्गत 222 ग्रामवा. सियों को पानी के कनेक्शन दिये गये हैं, जिससे सभी को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। पेयजल आपूर्ति हेतु आपरेटर की तैनाती भी की गयी है। तत्पश्चात राज्यमंत्री ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में तहसील बिलासपुर के ग्राम रामनगर में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत निर्मित पानी की टंकी का भी निरीक्षण किया। इस परियोजना के अन्तर्गत ग्राम में लगभग 278 कनेक्शन दिये गये है। सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है।

सभी उपभोक्ताओं द्वारा निर्धारित यूजर चार्ज ग्राम पंचायत में जमा कराया जा रहा है।

पैदल मार्च के दौरान पुलिस ने की एक बाइक सीज

शाह टाइम्स संवाददाता

शाहबाद/रामपुर। सोमवार को पैदल मार्च के दौरान कोतवाल पंकज पन्त ने एक बुलेट बाइक को सीज कर कार्यवाही की, मामला मोहल्ला फर्राशांन बिलाल मस्जिद के पास का है जब कोतवाल पंकज पन्त अतिरिक्त इंस्पेक्टर जयप्रकाश, उप निरीक्षक दिलीप कुमार अपेक्षा राहुल कुमार सहित अन्य पुलिस कर्मियों के साथ डाकखाने की ओर से पैदल मार्च करते हुए कोतवाली की ओर जा रहे थे इस दौरान सामने से बुलेट बाइक पर सवार चार लोग सामने से आते दिखाई दिए पुलिस ने बाइक सवार चारों को रोक लिया और बुलेट मोटरसाइकिल के काग. जात मांगे इस पर बाइक सवार मोटरसाइकिल के कागज दिखाने में समर्थ रहे वही पुलिस से बाइक सवार चारों लोग बहसबाजी करने लगे इस बार कोतवाल पंकज पन्त बाइक को कब्जे में लिया और थाने में भेज दिया और विधिक कार्यवाही करते हुए बुलेट मोटरसाइकिल को सीज कर दिया बताया जा रहा है की बाइक सवार थानागड़ी जिला संभल का रहने वाला

है और शाहबाद में अपनी मौसी के घर आया हुआ था।

सैफनी माता बेला भवानी मंदिर पर भंडारे का किया आयोजन

शाह टाइम्स संवाददाता

सैफनी /रामपुर। नगर में स्थित माता बेला भवानी मंदिर पर सोमवार दसवीं को एक विशाल भंडारे का आयोजन हुआ जिसमें सुबह से हवन कर माता का भोग लगाकर कन्याओं को खिलाया गया तथा उसके उपरांत विशाल भंडारे प्रारंभ किया गया।

वहीं भंडारे में काफी भारी संख्या में भक्तों ने माता के दर्शन कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया कहते है कि माता बेला भवानी बहुत ही सच्ची है यहां पर काफी दूर दूर के लोग आकर मन्नते मांगते ओर सभी की मन्नते पूर्ण होती है भंडारा देर शाम तक रहा जिसमें उपस्थित राकेश जोशी, मास्टर अशोक जोशी,प्रवीण जोशी, संजय रस्तौगी,सुन्दर पांडे, प्रेमकुमार जोशी (भीम),रतन सैनी ,पप्पू शर्मा आदि लोग मौजूद रहे।

डीएम व एसपी ने किया सौन्दर्यीकरण कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण

शाह टाइम्स संवाददाता

बिलासपुर/रामपुर। जनपद की सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों में सरकारी एवं सार्वजनिक महत्व की जमीनों को संरक्षित करने तथा आकर्षक बनाने के दृष्टिकोण से प्रशासनिक स्तर से मुहिम लगातार जारी है। जिलाधिकारी जोगिन्दर सिंह ने पुलिस अधीक्षक विद्या सागर मिश्र के साथ नगर पालिका बिलासपुर पहुंचकर वहां नगर पालिका द्वारा झील के निकट कराये जा रहे सौन्दर्यीकरण कार्यो का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सौन्दर्यीकरण को लेकर संबंधित एसडीएम एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बिलासपुर को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने नगर क्षेत्र में सड़कों पर अवैध रूप से किये गये अतिक्रमण को नियमानुसार हटाए जाने के भी निर्देश दिये, ताकि मुख्य मार्गो पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। जिलाधिकारी ने झील के सौन्दर्यीकरण को गुणवत्तापूर्ण ढंग से व निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराये जाने के लिए अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने झील के पास अनधिकृत रूप से लगाये जा रहे ठेले आदि को भी किसी अन्यत्र स्थान पर लगवाये जाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने एसडीएम बिलासपुर अनुराग सिंह को निर्देशित किया कि वे अपने पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण कार्य को ससमय व गुणवत्तापूर्ण ढ़ंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

सूफी अब्दुल अजीज मियां की आम चादर पोशी में उमड़े अकीदतमंद

सालाना 55 वां उर्स का आज दूसरा दिन

शाह टाइम्स संवाददाता

मिलक/रामपुर। मुर्शिद नगर भैसोड़ी शरीफ मे चल रहे हजरत ख्वाजा सूफी अब्दुल अजीज मियां 55 वां सालाना उर्स मे आज आम चादरपोशी के मौके पर अकीकतमंदो का हुजूम उमड़ पड़ा। तहसील क्षेत्र के ग्राम मुर्शीद नगर भैसोड़ी शरीफ मे आज दूसरे दिन शहीद-ए-मिल्लत, अजीजुल औलिया हजरत ख्वाजा सूफी अब्दुल अजीज मियां का 55 वां सालाना उर्स मे आज भी दरगाह के सज्जादा नशीन हजरत ख्वाजा सूफी जावेद हुसैन शाह के आस्ताने से आम चादरपोशी के अलग अलग जुलूस बाद नामज-ए -असर शुरू हुए जो गॉव के विभिन्न मार्गो से घूमते हुआ दरगाह शरीफ पर पहुंचे जुलूस में मौजूद कव्वाल और उलेमा हजरत की शान में नातिया

कलाम पेश करते चल रहे थे। दरगाह पर पहुंचने के बाद सज्जाद नशीन ने चादर पोशी की चादरपोशी के बाद मौजूद अकीकत मंदो गुलपोशी भी की उसके बाद दुआ हुई।

इस मौके पर मुल्क में अमन चौन और खुशहाली के लिए दुआ की गई चादरपोशी के बाद बाद नमाज -ए-ईशा महफिले मिलाद शरीफ का आगाज हुआ। जिसमें बाहर से आए उलेमाओ ने अजीजी सिल. सिले के बारे में तफसील से बयानात किए इस मौके पर दरगाह पर महफिले शमा का भी आयोजन हुआ जिसमें दूधराज से आए हुए अकीकतमंदो ने शिरकत की इस मौके पर सज्जाद नशीन हजरत ख्वाजा सूफी जावेद हुसैन शाह सहित सैकड़ो की संख्या मे अकीदत मंद मैंजूद रहे।

जिले में अघोषित बिजली कटौती से जनता बेहाल

शाह टाइम्स ब्यूरो

रामपुर। मे हो रही अंधाधुंध बिजली कटौती के खिलाफ आज कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमण्डल पूर्व विधायक अफरोज अली खां के नेतृत्व मे अधीक्षण अभियंता विधुत वितरण मण्डल (SE) रामपुर से मिला और ज्ञापन सौपा।

ज्ञापन कहा गया कि गर्मी के मौसम कि शुरवात हो चुकी है रामपुर मे अघोषित बिजली कटौती से जनता त्रस्त हो चुकी है बिजली कटौती से लोगो के कारोबार भी प्रभावित हो रहे है बिजली आने जाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है 24 घंटे मे रामपुर को मात्र 12 घण्टे ही बिजली मिल रही है जबकि कागजो मे 24 घण्टे बिजली आपूर्ति दर्शाए जा रही है खासतौर पर दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक सुबह 6 बजे से 8 बजे तक विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप रहती है। जिस कारण लकड़ी कारोबारियो को भी भारी नुकसान होता है दिन मे केवल 6 घंटे ही बिजली मिल रही है जिस कारण आरा मशीनों के संचालन मे काफी दिक्कते आ रही है इस कारण लकड़ी कारोबारी बिजली कि समस्या से जूझ रहे है। जिससे लकड़ी कारोबारियो को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है बिजली विभाग कटौती करने के नये नये बहाने बना रहा है खासतौर पर पहाड़ी गेट, अंगूरी बाग, रजा इंटर कॉलेज, डूंगरपुर, सैफनी, खोद, सैदनगर,सेजनी नानकार बिजली उपकेंद्र का तो बहुत बुरा हाल है यहाँ बिजली 12 घण्टे मे भी आँखे मे चोली का काम करती है।

कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने अधीक्षण अभियंता (SE) रामपुर से अनुरोध किया कि रामपुर में अघोषित बिजली कटौती बंद की जाए और आम जनता को राहत देते हुए 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाए। ज्ञापन पर पूर्व शहर अध्यक्ष नोमान खां, जिला उपाध्यक्ष जुबैर खां,युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष आरिफ अल्वी, किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नाजिश खां, युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव मनी कपूर, सेवादल प्रदेश सचिव सैय्यद विक्की मियाँ, मुस्ववीर खां, महरबान अली, शाहिद अली एडवोकेट, रामगोपाल सैनी,फरीद अहमद खां, नूर मोहम्मद,जगमोहन मोना, बिलाल अंसारी, रूप नरायण आदि मौजूद रहे

पुलिस ने अवैध गांजे के साथ एक को दबोचा

शाह टाइम्स संवाददाता

टांडा/रामपुर। पुलिस ने 3 किलो 200 ग्राम अवैध गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर चालान की कार्यवाही की। अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र के आदेश में एवं पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों की धरपकड को चलाये जा रहे अभियान में पुलिस टीम ने सोमवार सुबह रामपुर मार्ग पर सड़क किनारे आम के बाग में एक आरोपी को

प्लास्टिक की बोरी के साथ गिरफ्तार किया।

तलाशी में पुलिस को उसके पास से तीन किलो दो सौ ग्राम गांजा बरामद कुया।

पुलिस ने आरोपी मोनू सैनी पुत्र चोखे लाल निवासी मोहल्ला प्रेमनगर नई बस्ती थाना टाण्डा का चालान कर दिया।

गिरफ्तारी टीम में उपनिरीक्षक रामकुमार सिंह, सत्यम कुमार, हैड कांस्टेबल राजीव कुमार, कांस्टेबल विनय कुमार शामिल रहे।

हिन्दी दैनिक शाह टाइम्स समाचार पत्र में समाचार एवं विज्ञापनों के लिए सम्पर्क करें।
इमरान हुसैन
जिला प्रभारी रामपुर
कार्यालय निकट कचहरी के दूसरे गेट के सामने गली में
सम्पर्क सूत्र 9720093014
7906773314

बांग्लादेश ने कोलकाता के पास चीन को सौंपा पोर्ट, भारत चिंतित

ढाका। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार डॉ. मोहम्मद यूनुस का भारत विरोधी रवैया जारी है। BIMSTEC समिट में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भी यूनुस सरकार ने चीन और पाकिस्तान को रणनीतिक जगहों पर अहम प्रोजेक्ट सौंप दिए हैं। इनमें एक पोर्ट और एक एयरबेस शामिल है। बांग्लादेश ने भारत के कोलकाता से सिर्फ 200 किमी दूर मोंगला पोर्ट के विस्तार की जिम्मेदारी चीन को दी है। यूनुस की हालिया बीजिंग यात्रा के दौरान इस डील पर मुहर लगी थी। चीन ने इस पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए 400 मिलियन डॉलर (करीब 3,300 करोड़ रुपये) देने का वादा किया है। वहीं, बांग्लादेशी सरकार लालमोनिरहाट जिले में एक सैन्य एयरबेस बना रही है, जो भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 120 किमी दूर है। इस एयरबेस के लिए बांग्लादेशी पायलटों को पाकिस्तान भेजा जा रहा है ताकि वे पाकिस्तानी JF-17 फाइटर जेट्स उड़ाना सीख सकें। 27 मार्च को पांच अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा भी गया। चीन पहले ही बांग्लादेश को पनडुब्बी दे चुका है और अब वह बंगाल की खाड़ी में अपनी मौजूदगी और मजबूत कर रहा है। वहीं, पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश की ए सैन्य गतिविधियां भारत की चिंता बढ़ा रही हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने से पहले ही विपक्षी गठबंधन ने इंडिया आउट कैंपेन शुरू कर दिया था। अब यूनुस की पार्टी NCP खुलेआम भारत विरोधी बातें कर रही है। पार्टी के स्थापना दिवस पर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बुलाना भी इसी एजेंडे का हिस्सा माना जा रहा है। यूनुस ने चीन यात्रा के दौरान भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंड लॉक्ड (चारों ओर से जमीन से घिरे) कहा और कहा कि बांग्लादेश उनके लिए समुद्र तक पहुंच का इकलौता रास्ता है। इस बयान पर पूर्वोत्तर भारत के

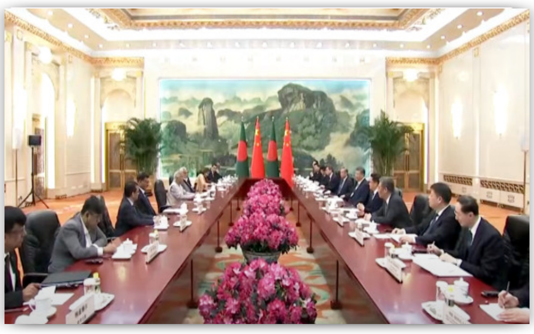

नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कुछ ने यहां तक कहा कि बांग्लादेश को तोड़ देना चाहिए। चिटगांव यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर डॉ. फारिदुल आलम ने कहा कि आज के दौर में किसी बड़े पड़ोसी देश से दुश्मनी रखकर फायदा नहीं हो सकता। सरकार को चाहिए कि वह भारत के साथ शांति बनाए रखे, वरना इसका नुकसान उसे ही होगा।

अंटार्कटिका में चीन ने नए रेडियो टेलीस्कोप का किया अनावरण

बीजिंग। चीन ने वायुमंडलीय क्षेत्र में अपनी ताकत को और मजबूत करने के लिए अहम कदम उठाया है। इसके तहत चीन ने अंटार्कटिका में एक नई दूरबीन का अनावरण किया है, जिससे इस बर्फीले और संसाधन से भरे पूरे महाद्वीप पर उसकी उपस्थिति और भी मजबूत हो गई है। बता दें कि इस दूरबीन का नाम थ्री गार्जेस अंटार्कटिक आई है, और यह 3.2 मीटर एपर्चर वाली रेडियो/मिलीमीटर-वेव दूरबीन है। इसे चीन के थ्री गार्जेस यूनिवर्सिटी (सीटीजीयू) और शंघाई नार्मल यूनिवर्सिटी (एसएचएनयू) द्वारा सह-विकसित किया गया है। इस विषय में जारी विज्ञाप्ति में बताया गया है कि चीन का यह कदम अंटार्कटिक में अपनी क्षमताओं को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दूरबीन अंटार्कटिका की प्राचीन और शुद्ध वायुमंडलीय स्थितियों का लाभ उठाकर इन्फ्रारेड और मिलीमीटर-कंपन की समीक्षा में

मदद करेगी, जिससे ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन करने में सहायता मिलेगी।

चीन अंटार्कटिका में अपने वैज्ञानिक अनुसंधान को लगातार बढ़ा रहा है। तीन साल पहले 2022 में उसने अपना पांचवां विशाल अनुसंधान स्टेशन शुरू किया था। इस स्टेशन में 5,244 वर्ग मीटर का फर्श क्षेत्र है और यह गर्मियों के दौरान 80 अभियान दल के सदस्यों और सर्दियों में 30 सदस्यों को सहायक सेवाएं प्रदान करने के लिए सुविधाओं से लैस है। गौरतलब है कि वर्तमान में अंटार्कटिका में 70 स्थाई अनुसंधान स्टेशन हैं, जो पृथ्वी के विभिन्न महाद्वीपों के 29 देशों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। भारत के पास अंटार्कटिका में दो सक्रिय अनुसंधान स्टेशन हैं, मैत्री और भारती। वहीं, अमेरिका के पास छह और आस्ट्रेलिया के पास तीन अनुसंधान स्टेशन हैं। हालांकि ध्यान देने योग्य बात ए है कि चीन ने 1983 में अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जो अंटार्कटिका को एक प्राकृतिक रिजर्व के रूप में नामित करती है और यहां वाणिज्यिक संसाधन निष्कर्षण को प्रतिबंधित करती है।

हज से पहले भारत समेत 14 देशों पर लगी बड़ी पाबंदी

भारत और पाकिस्तान समेत 14 देशों का वीजा रोका, नए नियम तोड़ने पर पांच साल का एंट्री बैन, जिनके पास उमरा का वीजा है वे 13 अप्रैल तक पहुंच सकते हैं

रियाद। सऊदी अरब ने बिना रजिस्ट्रेशन हज में शामिल होने वालों को रोकने के लिए भारत और पाकिस्तान समेत 14 देशों के वीजा पर रोक लगा दी है। यह रोक अस्थाई है। उमरा, बिजनेस और फैमिली विजिट के लिए मिलने वाले वीजा पर जून महीने के मध्य तक बैन रह सकता है। सऊदी अधिकारियों ने कहा कि जिन लोगों के पास उमरा का वीजा है वे 13 अप्रैल तक सऊदी अरब पहुंच सकते हैं। इस साल हज यात्रा 4 जून से 9 जून तक रहेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यात्रियों से नए नियमों का पालन करने को कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो अगले पांच साल तक सऊदी अरब में उसकी एंट्री पर रोक लगाई जा सकती है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि कई विदेशी नागरिक उमरा या विजिट वीजा पर सऊदी अरब आते हैं। वीजा खत्म होने के बाद भी वे गैर-कानूनी तौर पर सऊदी में रुके रहते हैं। इसके बाद वे बिना रजिस्ट्रेशन हज यात्रा में हिस्सा लेते हैं। इसी को रोकने के लिए सऊदी सरकार ने यह फैसला लिया है। बिना रजिस्ट्रेशन हज यात्रा करने से अधिक. ारियों को श्रद्धालुओं का अंदाजा नहीं लगता है। भीड़ अचानक बढ़ जाती है और गर्मी भी। भीड़ का नियंत्रण करने में भी अधिकारियों को दिक्कत आती है। गैर-कानूनी तौर पर काम कर रहेरू अधिकारियों ने बताया कि अवैध कामकाज भी एक बड़ा कारण है। कुछ विदेशी नागरिक व्यापार या पारिवारिक वीजा का इस्तेमाल कर सऊदी अरब में गैर-कानूनी रूप से काम कर रहे थे, जिससे वीजा नियमों का उल्लंघन हो रहा था और मजदूरी बाजार में असंतुलन पैदा हो रहा था। 2024 में हज यात्रा 14 जून से 29 जून के दौरान रखी गई थी। हज यात्रा में बहुत ज्यादा तीर्थयात्रियों के आने से गर्मी का प्रभाव बढ़ गया था। इसके चलते कम से कम 1,200 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। इनमें 98 भारतीय भी शामिल थे। सऊदी अरब में हज के लिए एक कोटा प्रणाली लागू है, जिसके तहत हर देश के तय संख्या में हज यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति दी जाती है। इंडोनेशिया का कोटा सबसे ज्यादा है। इसके बाद पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नाइजीरिया का नंबर है। ईरान, तुर्किए, मिस्र, इथियोपिया समेत कई देशों के श्रद्धालु आते हैं। 2025 में किए गए हज एग्रीमेंट पर भारत और सऊदी ने दस्तखत किए। इसमें हज के लिए 1,75,025 श्रद्धालुओं का कोटा फाइनल हुआ। इसमें 70 प्रतिशत हिस्सा केन्द्रीय हज कमेटी को और 30 प्रतिशत प्राइवेट टूर एजेंट्स को दिया गया है। भारत में 2025 के हज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 13 अगस्त 2024 से 9 सितम्बर 2024 तक किया गया। पिछले साल हज यात्रा में शामिल होने 1,75,000 भारतीय मक्का पहुंचे थे। 98 श्रद्धालु भीड़ और गर्मी की वजह से मारे गए थे।

सऊदी अधिकारियों ने कहा है कि 13 अप्रैल 2025 उमरा वीजा जारी करने की अंतिम तारीख होगी। इस तारीख के बाद, इन 14 देशों के नागरिकों को हज यात्रा पूरी होने तक नए वीजा नहीं दिए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अधिकारियों को वीजा प्रक्रिया को और कड़ा करने के निर्देश दिए हैं। सऊदी हज और उमरा मंत्रालय ने साफ किया है कि यह कदम किसी भी राजनयिक विवाद से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह हज यात्रा को सुरक्षित और बेहतर ढंग से आयोजित करने के लिए लिया गया फैसला है। हर साल हजारों यात्री ऐसे होते हैं, जिनके पास हज के लिए वीजा नहीं होता है। पैसों की कमी की वजह से इस तरह के यात्री गलत तरीकों से मक्का पहुंचते हैं। पिछले साल भी हज से पहले बिना रजिस्ट्रेशन वाले हजारों हज यात्रियों को मक्का से हटाया था। सऊदी अरब के अधिकारियों के मुताबिक, मक्का पर जलवायु परिवर्तन का गहरा असर हो रहा है। यहां हर 10 साल में औसत तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। 2023 में हज पर गए 240 हज यात्रियों की मौत हुई थी। इनमें से ज्यादातर इंडोनेशिया के थे।

मुर्मू दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर लिस्बन पहुंची

लिस्बन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर रविवार रात पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंची, जहां वह पुर्तगाली नेतृत्व के साथ वार्ता करेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पुर्तगाल यात्रा 27 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है तथा ऐसे समय हो रही है जब भारत और पुर्तगाल अपने राजनयिक संबंधों की पुन: स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। भारत की ओर से पुर्तगाल की अंतिम राजकीय यात्रा 1998 में राष्ट्रपति के. आर. नारायणन ने की थी। श्रीमती मुर्मू की पुर्तगाल यात्रा राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के निमंत्रण पर हो रही है। श्रीमती मुर्मू अपने समकक्ष राष्ट्रपति डी सूसा से मुलाक. ात करेंगी और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वह प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो और नेशनल असेंबली (संसद) के अध्यक्ष जोस पेड्रो अगुइर-ब्रैंको से भी मुलाकात करेंगी। भारत और पुर्तगाल के बीच ऐतिहा. सिक और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं।

गाजा पर इजरायली बर्बरता जारी, 44 की मौत

यरूशलम/गाजा। हमास के रॉकेट हमलों के जवाब में किए गए इजरायली हवाई हमलों में गाजा पट्टी में 44 फलस्तीनियों की मौत हो गई। गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने सोमवार को यह जानकारी दी। फलस्तीनी अधिकारियों ने बताया कि कब्जे वाले पश्चिमी तट पर संघर्ष के दौरान इजरायली सेना ने एक 14 वर्षीय फलस्तीनी मूल के अमेरिकी किशोर को गोली मार दी। हिसा तब और बढ़ गई, जब हमास की सशस्त्र शाखा, अल-कस्साम ब्रिगेड ने रविवार को दक्षिणी इजरायल में रॉकेट दागे, जिसे समूह ने फलस्तीनी नागरिकों के खिलाफ इजरायली नरसंहार का प्रतिशोध बताया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रॉकेट हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया और पूरी ताकत से जवाब देने की कसम खाई। इजरायली सेना ने कहा कि उसने अधिकतर रॉकेट रोके, लेकिन अश्कलोन में एक रॉकेट से तीन लोग घायल हो गए। जवाब में, इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने डेर अल-बलाह सहित मध्य गाजा में संदिग्ध रॉकेट लॉन्च स्थलों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलों के दौरान रात भर लगातार विस्फोट होते रहे। इजरायल ने 18 मार्च को गाजा में बड़े पैमाने पर हवाई और जमीनी अभियान फिर से शुरू किया। गाजा के स्वास्थ्य अधिक. ारियों ने रविवार को पहले कहा कि इन नए हमलों में करीब 1,335 फलस्तीनी मारे गए हैं और 3,297 अन्य घायल हुए हैं।

College Code- 1223
Islamia Degree College, Deoband, Saharanpur
Approved by AICTE New Delhi & Affiliated to AKTU Lucknow
Applications are invited to the following post for MCA & MBA Programmes

Designation	MCA Programme No. of Post	MBA Programme No. of Post
Professor	01	01
Associate Professor	01	01
Assistant Professor	04	02

Last date for Receiving Applications at the institute by E-mail on idcdeoband@gmail.com or by post is :15/04/2025
Qualifications and Pay scale for the teaching staff as per AICTE and UGC Guidelines.
Candidates should carry all the original documents, Experience Certificate, identity Proof (Aadhar card and Pan Card) and 2 Passport size Photographs at the time of interview
Preference will be given to experienced candidates.
Address: Near indra Park Deoband, Distt.- Saharanpur,(U.P.)
Contact: +91 8755525452, +91 9045143298

यौन समस्याएं
यौन समस्याओं के विशेषज्ञ
पुराने से पुराने यौन रोग के मरीज एक बार अवश्य मिलें
डा. सम्राट
नशामुक्ति, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा तम्बाकू, प्रोक्सीवॉन कैप्सूल अफीम, चरस, डोडे पोस्त इंजेक्शन व अन्य नशा छुड़ाने का स्थायी ईलाज।
नावल्टी सिनेमा चौक
मुजफ्फरनगर (यू.पी.)
M-9412211108

साल बचाएं, डायरेक्ट करे, सीधे प्रवेश
CMS & ED
करें स्थानीय CMO के यहाँ रजिस्ट्रेशन करायें।
(एलोपैथिक मे सम्मानित चिकित्सक बने)
जो चिकित्सक सेवाएं दे रहे है वो भी मेडिकल कोर्स करें।
DPT, BPT, MPT, DMLT, BMLT
X-RAY Tech, Ultra Sound Technician
OT, Lab Tech, DNYS, BNYS YOGA
Dental Machenic, Dental Hygiene
BA, MA, BSc, MSc, B.Com, M.Com, BBA, MBA
BCA, MCA, B.Ed, BPEd, MPEd, LLB, BSW, MSWE
ANM, GNM, BSc Nursing & Many More Courses..
सम्पर्क करें।
डा0 सम्राट क्लीनिक
नावल्टी सिनेमा चौक, मुजफ्फरनगर
M.: 9412211108, 9359406499